The Chhattisgarh Public Premises (Eviction) Act, 1974

Act No. 46 of 1974

Amendment appended: 18 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

B.S. Khetrapal

म.प्र./छ.ग.
लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम एवं नियम

M.P./C.G.
Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam & Niyam

Edition :
2011

Diglot Edition

Price :
70/-

BARE ACT
WITH SHORT NOTES

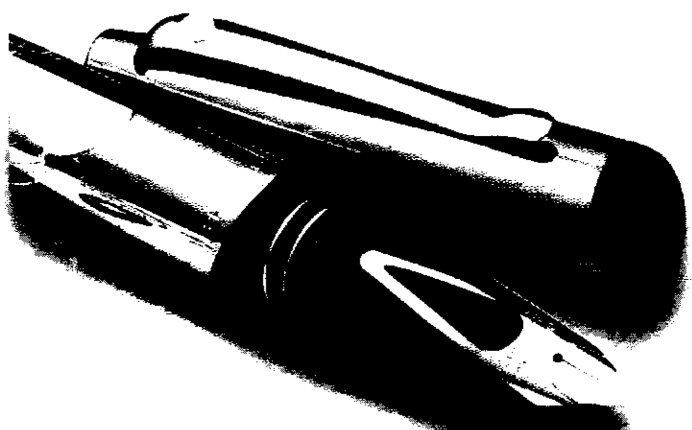

KHETRAPAL PUBLICATIONS, INDORE

म.प्र./छ.ग. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम एवं नियम

M.P./C.G. LOK PARISAR (BEDAKHALI) ADHINIYAM & NIYAM

DIGLOT EDITION द्विभाषी संस्करण

संक्षिप्त टिप्पणियों एवं नवीनतम निर्णयज विधि सहित

लेखक

गुलाबचन्द गोयल, एम.ए., एल-एल.बी., साहित्यरत्न (एडवोकेट)

पुनरीक्षक

भीमसेन खेत्रपाल, बी.ए., एल-एल.बी. (भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत एवं विधि पुस्तकों के अनुभवी लेखक)

© **Publisher**

- This publication is being sold on the condition and understanding that the information, comments, and views it contains are merely for guidance and reference and must not be taken as having the authority of, or being binding in any way on, the author, editors, publishers and sellers, who do not owe any responsibility whatsoever for any loss, damage, or distress to any person, whether or not a purchaser of this publication, on account of any action taken or not taken on the basis of this publication. Despite all the care taken, errors or omissions may have crept inadvertently into this publication. For authoritative text information, please contact the department concerned or refer to the Government publication or the Gazette notification. The publishers shall be obliged if any such error or omission is brought to their notice for possible correction in a future edition. In the case of binding defect, misprint, missing pages, etc., the publishers' liability is limited to replacement of the defective copy within one month of its purchase by a copy of the same edition or reprint. All disputes are subject to the jurisdiction of competent courts in INDORE only.
- Warning : Any copying by whatever means, mode or manner of any part of this Book without the written permission of the Publisher will entail both the civil and criminal action without any further notice.
- This book can not be sold, exchanged, resold, displayed or distributed except in the Cover, Title, Binding and PRICE in which originally sold.
- All rights including copyrights reserved with Publisher : **Khetrapal Law Publications, Indore.**
- यद्यपि, हिन्दी अनुवाद सम्यक् सावधानीपूर्वक एवं विधिक भाषा में मौजूद शब्दकोषों, विधि शब्दावली, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित, सहित एवं केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के प्रमाणिक हिन्दी पाठ में प्रयुक्त शब्दों की एक समान अभिव्यक्तियों के आधार पर, शब्दशः एवं वाक्यशः, मूल भावार्थ को कायम रखते हुए किया गया है, परन्तु, फिर भी यदि, भावार्थ को लेकर कोई विवाद हो, तो कृपया अंग्रेजी भाषा में जो लिखा है उसी का अवलोकन करें तथा भावार्थ को तदनुसार अंगीकृत किया जाए। **अनुवादक।**

Printed by : **Sri Rang Offset,** Indore.

खेत्रपाल पब्लिकेशन्स

27, एम.जी. रोड़, (रामपुरावाला बिल्डिंग) इन्दौर - 452 007 (म.प्र.)

✆ (0731) 2540987, 2540977, 4072316 मो. : 98266-25560

धारा/Sec.		पृष्ठ/Page
4.	बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने के लिए सूचना का जारी किया जाना Issue of notice to show cause against order of eviction	12
	टिप्पणी :-	
	(1) संशोधन।	14
	(2) सक्षम अधिकारी।	15
	(3) सूचना-पत्र।	15
	(4) सूचना-पत्र का प्रारूप।	15
	(5) सूचना-पत्र की तामीली।	15
	(6) नैसर्गिक न्याय।	16
	(7) रिट याचिका।	16
	(8) अति तकनीकी होना उचित नहीं।	16
	(9) अपील।	16
5.	अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली Eviction of Unauthorised occupants	17
	टिप्पणी :-	
	(1) संशोधन।	19
	(2) विस्तार।	19
	(3) स्वत्व संबंधी साक्ष्य।	20
	(4) लोक परिसर।	20
	(5) बेदखली का आदेश।	20
	(6) कब्जा प्राप्त करना।	21
	(7) सुनवाई का आधार।	21
	(8) लोक न्यास की सम्पत्ति।	21
	(9) रिक्त क्वार्टर पर अनधिकृत अधिवास।	22
	(10) मौखिक अनुमति के आधार पर अधिवास अमान्य।	22
	(11) गलत नंबर के क्वार्टर के आधार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।	22
	(12) यह धारा और संविधान।	22
	(13) वसूली का आदेश।	22
	(14) विधिपूर्ण अभिधारी।	23
	(15) सरकार के हक के संबंध में विवाद।	23
	(16) यथास्थिति बनाए रखना।	23
5-क.	*विलोपित*	23
6.	अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा लोक परिसरों पर छोड़ी गई संपत्ति का व्ययन Disposal of property left on public premises by unauthorised occupants	24
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	24

धारा/Sec.		पृष्ठ/Page
7.	लोक परिसरों के बाबत् किराये या नुकसानी का भुगतान अपेक्षित करने की शक्ति Power to require payment of rent or damages in respect of public premises	25
	टिप्पणी :-	
	(1) संशोधन।	26
	(2) विस्तार।	26
8.	सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ Power of competent authority	27
	टिप्पणी :-	
	(1) विस्तार।	27
	(2) यह धारा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।	27
9.	अपील Appeals	29
	टिप्पणी :-	
	(1) संशोधन।	31
	(2) अपील प्राधिकारी।	32
	(3) अवधि।	32
	(4) यह धारा एवं रिट याचिका।	32
	(5) अति तकनीकी होना उचित नहीं।	33
	(6) स्थगन आदेश।	33
	(7) अपील न्यायालय की प्रक्रिया।	33
	(8) कब्जा/आधिपत्य।	33
	(9) निष्कासन/बेदखली आदेश।	33
9-क.	*विलोपित*	34
10.	आदेशों की अन्तिमता Finality of orders	34
	टिप्पणी :-	
	(1) संशोधन।	35
	(2) विस्तार।	35
	(3) सिविल वाद का वर्जन।	35
11.	अपराध तथा शास्ति Offences and penalty	36
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	36
12.	जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति Power to obtain information	36
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	37

धारा/Sec.		पृष्ठ/Page
13.	वारिसों तथा विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व Liability of heirs and legal representatives	37
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	38
14.	किराये आदि की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली Recovery of rent, etc. as an arrear of land revenue	38
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	39
15.	अधिकारिता का वर्जन Bar of jurisdiction	39
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	39
16.	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण Protection of action taken in good faith	40
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	41
17.	शक्तियों का प्रत्यायोजन Delegation of powers	41
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	41
18.	नियम बनाने की शक्ति Power to make rules	42
	टिप्पणी :-	
	(1) संशोधन।	43
	(2) नियम बनाने की शक्ति।	43
	(3) नियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन (delegation)।	44
	(4) नियम की वैधता।	44
	(5) नियम का विधानसभा के पटल पर रखा जाना।	44
19.	निरसन Repeal	45
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	45
20.	विधिमान्यताकरण Validation	46
	टिप्पणी :-	
	विस्तार।	47

म.प्र./छ.ग. लोक परिसर (बेदखली) नियम, 1975
The M.P./C.G. Lok Parisar (Bedakhali) Niyam, 1975

नियम/Rule		पृष्ठ/Page
1.	संक्षिप्त नाम Short title	48
2.	परिभाषाएँ Definitions	48
3.	सूचनाओं का प्रारूप Form of notices	48
4.	सूचना तामील करने की रीति Manner of service of notice	48
5.	जाँच करना Holding in inquiries	50
6.	लंबित कार्यवाहियों का अन्तरण Transfer of pending proceedings	50
7.	लोक परिसरों का कब्जा लेने की रीति Manner of taking possession of public premises	51
8.	नुकसानी का निर्धारण Assessment of damages	51
9.	अपीलों में प्रक्रिया Procedure in appeals	52
10.	निरसन Repeal	52
	प्ररूप ''क''	53
	FORM A	53
	प्ररूप ''ख'	54
	FORM B	55
	प्ररूप ''ग''	54
	FORM C	55
	प्ररूप ''घ''	54
	FORM D	55

नियम/Rule	पृष्ठ/Page
प्रारूप "ङ"	56
FORM E	57
प्रारूप "च"	56
FORM F	57
प्रारूप "छ"	58
FORM G	59
प्रारूप "ज"	60
FORM H	61
प्रारूप "झ"	60
FORM I	61
प्रारूप "ञ"	60
FORM J	61

❑❑❑

म.प्र./छ.ग. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974

[अधिनियम क्र. 46 सन् 1974]

The M.P./C.G. Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974

[Act No. 46 of 1974]

[दिनांक 10 नवम्बर, 1974 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 26 नवम्बर, 1974 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

[Received the assent of the President on the 10th November, 1974 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)," dated the 26th November 1974].

लोक परिसरों में अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए तथा कतिपय आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम।

An Act to provide for the eviction of unauthorised occupants from public premises and for certain incidental matters.

भारत गणराज्य में पच्चीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974** है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) धारा 11, 19 तथा 20 को, जो कि तत्काल प्रवृत्त होंगी, छोड़कर यह --

(एक) महाकौशल क्षेत्र में 12 सितम्बर, सन् 1952 को और

(दो) राज्य के अन्य क्षेत्रों में 9 जनवरी, सन् 1959 को,

प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1. Short title, extent and commencement -- (1) This Act may be called **the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974.**

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force --

(i) in the Mahakoshal region on the 12th September, 1952, and

(ii) in other regions of the State on the 1st January, 1959,

except sections 11, 19 and 20, which shall come into force at once.

टिप्पणी

(1) सदृश्य विधि।
(2) उद्देश्य।
(3) अधिनियम का प्रवृत्त किया जाना।
(4) भूत कालिक प्रभाव।

(1) सदृश्य विधि -- इस अधिनियम की सदृश्य विधि 'गवर्नमेंट प्रिमाइसेस' (इविक्शन) एक्ट, 1952 (क्रमांक 16 सन् 1952) था, जो इस अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निरस्त किया गया है।

(2) उद्देश्य -- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा शासकीय भवन अथवा उसका भाग अथवा भूमि का अवैध लाभ लेने पर प्रतिबन्ध लगाना है। शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात् भी विधि अनुसार शासकीय भवन, उसका भाग अथवा भूमि जो उनके कब्जे में रहते हैं, का रिक्त किया जाना आवश्यक होने पर भी वे ऐसा नहीं करते। अतः इस अधिनियम की सहायता से विवादित भवन उसके भाग अथवा भूमि का कब्जा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है। साधारण विधि के अधीन कार्यवाही करने में जो विलंब व असुविधा होती है उससे बचने के लिए तथा शीघ्र कार्यवाही कर कब्जा प्राप्त किया जाना इस अधिनियम का उद्देश्य है। जार्ज सालोमन बनाम सक्षम अधिकारी, ए.आई.आर. 1958 एम.पी.530 = 1958 एम.पी.एल.जे. 57 = 1958 जे.एल.जे. 594।

(3) अधिनियम का प्रवृत्त किया जाना -- इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 1974 को स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह स्वीकृति अधिनियम सहित दिनांक 26 नवम्बर, 1974 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के पृष्ठ 2863 से 2870 पर प्रकाशित की गई है। यह अधिनियम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर निम्न प्रकार लागू किया गया है :-

1. धारा 11, 19 तथा 20 जो क्रमशः 'अपराध तथा शास्ति', 'निरसन' एवं 'विधि मान्यताकरण' से संबंधित है दिनांक 26-11-1974 से लागू की गई हैं जबकि शेष धाराएँ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार प्रवृत्त की गई हैं :-

(क) महाकौशल क्षेत्र में दिनांक 12 सितम्बर, 1952 से, तथा

(ख) राज्य के शेष भाग में 9 जनवरी, 1959 से प्रवृत्त किया गया।

निर्णय विधि के लिये देखें - मांगीलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एम.पी., 1983 एम.पी.एल.जे. 254 (एफ.बी.)। जे.के. जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1534।

(4) भूत कालिक प्रभाव -- इस अधिनियम को उपरोक्त बताए अनुसार धारा 11, 19 तथा 20 को छोड़कर शेष धाराओं को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।

---

2. परिभाषाएँ -- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

2. Definitions -- In this act, unless the context otherwise requires —

[1][(क) **''सक्षम प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है कोई अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया हो;]

(ख) **''निगमित प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है कोई कम्पनी या निगम जिसे इस धारा के खंड (ङ) में निर्दिष्ट किया गया है;

(ग) **''परिसर''** से अभिप्रेत है कोई भूमि या कोई भवन या किसी भवन का भाग और उनके अंतर्गत आते हैं --

(एक) ऐसे भवन से या किसी भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, मैदान तथा उपगृह, यदि कोई हों; और

(दो) कोई भी ऐसे फिटिंग जो ऐसे भवन में या किसी भवन के भाग में उसके अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए लगाए गए हों;

(घ) **''विहित''** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा विहित;

(ङ) **''लोक परिसर''** से अभिप्रेत है कोई भी ऐसे परिसर जो राज्य सरकार के हों या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए

[1][(a) **"competent authority"** means an authority appointed as such by the State Government under Section 3;]

(b) **"corporate authority"** means any company or corporation referred to in clause (e) of the section;

(c) **"premises"** means any building or part of a building and includes --

(i) the garden, grounds and out-houses, if any, appertaining to such building or part of a building; and

(ii) any fittings, affixed to such building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof;

(d) **"prescribed"** means prescribed by rules made under this Act;

(e) **"public premises"** means any premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the State

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 द्वारा पुन: क्रमांकित। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ।

गए हों या अधिग्रहित किए गए हों और उसके अंतर्गत कोई भी ऐसे परिसर आते हैं, जो --

(एक) कम्पनी एक्ट, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी ऐसी कंपनी , जिसमें कि राज्य सरकार समादत्त अंश पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करती हो, के हों या उस कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए हों; और

[1](दो) किसी ऐसे निगम (जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कंपनी न हो, जो किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो; के हों या उस निगम द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए हों;

government; and includes any premises belonging to, or taken on lease by, or on behalf of --

(i) any company as defined in section 3, of the Companies Act, 1956 (No 1 of 1956), in which not less than fifty one per cent. of the paid up share capital is held by the State Government; and

[1](ii) any Corporation not being a company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) established by or under a Central or State Act and owned or controlled by the State Government or a local authority.

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 द्वारा अन्तःस्थापित। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ।

(च) किन्ही लोक परिसरों के संबंध में **''किराया''** से अभिप्रेत है उन परिसरों के प्राधिकृत अधिभोग के लिए नियतकालिक रूप से देय प्रतिफल और उसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रभार तथा कर, जहाँ कि ऐसा प्रभार या कर राज्य सरकार द्वारा या निगमित प्राधिकारी द्वारा देय हो, आता है --

(एक) परिसरों के अधिभोग के संबंध में विद्युत, जल या किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए प्रभारी;

(दो) परिसरों के बारे में कोई कर (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए);

(f) **"rent"** in relation to any public premises, means the consideration payable periodically for the premises, and includes --

(i) any charge for electricity, water or any other services in connection with the occupation of the premises;

(ii) any tax (by whatever name called) payable in respect of the premises,

where such charge or tax is payable by the State Government or Corporate authority

(छ) किन्हीं लोक परिसरों के संबंध में **''अप्राधिकृत अधिभोग''** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा लोक परिसरों पर ऐसे अधिभोग का रखा जाना जो ऐसे अधिभोग बाबत् किसी प्राधिकार के बिना रखा गया हो, और उसमें उस प्राधिकार का (चाहे वह अनुदान के रूप में हो या अन्तण के किसी अन्य ढंग के रूप में हो), जिसके कि अधीन किसी व्यक्ति को लोक परिसरों परअधिभोग रखने के लिए अनुज्ञात किया गया था, अवसान

(g) **"unauthorised occupation"** in relation to any public premises, means the occupation by any person of the public premises without authority for such occupation and includes the continuance in occupation by any person of the public premises after the authority (whether by way of grant or any other mode of transfer) under which was allowed to

हो जाने या किसी भी कारण से उसका पर्यवसान कर दिया जाने के पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा उन परिसरों पर अधिभोग का जारी रखा जाना सम्मिलित है।

occupy the premises has expired or has been determined for any reason whatsoever.

टिप्पणी

(1) संशोधन।
(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।
(3) सक्षम अधिकारी।
(4) परिसर।
(5) लोक परिसर।
(6) किराया।
(7) अप्राधिकृत अधिभोग।
(8) नगर पालिका परिषद का परिसर।
(9) स्थानिय प्राधिकारी के परिसर।
(10) शासकीय कर्मचारी के परिसर।
(11) पट्टा समाप्ति उपरान्त भी प्राधिकार पर कब्जे का प्रभाव।
(12) सूचना-पत्र के अभाव में बेदखली सम्भव नहीं।

(1) संशोधन -- यह अधिनियम राज्य शासन द्वारा दो बार संशोधित किया गया। प्रथम म.प्र. अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 के द्वारा धारा 2 के खंड (क) को (ककक) अंकित किया गया व उसके पूर्व निम्नांकित खंड (क), (कक) एवं (ककक) स्थापित किए गए, यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को पृ. 712 पर प्रकाशित हुआ। उपरोक्त बताए अनुसार खंड (क), (कक), (ककक) निम्न प्रकार हैं --

(क) 'आवंटिती' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आवंटन अधिकारी द्वारा लोक परिसर आवंटित किया जाता है ;

(कक) 'आवंटन अधिकारी' से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जिसे लोक परिसरों के आवंटन का कृत्य सौंपा गया हो;

(ककक) 'अपील प्राधिकारी' से अभिप्रेत है कोई प्राधिकारी जो अपील प्राधिकारी के रूप में धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया हो।

दूसरा संशोधन म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 2 के द्वारा इस धारा में किया गया है, उसके अनुसार उपरोक्त बताई धारा 2 के खंड (क),(कक), (ककक) निरस्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त इस धारा के खंड (ङ) का उपखंड (दो) नया स्थापित किया गया, यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 5 मई, 1981 को पृ. 936 पर प्रकाशित किया गया है।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -- इस धारा में उन शब्दों को परिभाषित किया गया है जिसका महत्वपूर्ण प्रयोग इस अधिनियम से किया गया है। इन शब्दों का वही तात्पर्य निकाला जाना अनिवार्य है जैसा कि उनका इस धारा में बताया गया है। किन्तु प्रसंगवश कोई अन्य अर्थ निकाला जाना आवश्यक हो तो परिभाषा से भिन्न अर्थ निकाला जाना संभव है।

यही कारण है कि अधिनियम की वह धारा जिसमें उक्त अधिनियम में प्रयोग किए गए महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया जाता है, उस धारा का आरम्भ इसी प्रकार की शब्दावली अथवा इनके समकक्ष शब्दों को प्रयोग किया जाता है।

कई पद जिनका प्रयोग अधिनियम में होता है और वे शब्द महत्वपूर्ण भी होते हैं, किन्तु उनका अर्थ परिभाषा में नहीं किया जाता है अथवा वे परिभाषित नहीं किए जातें हैं। ऐसे समय में अधिनियम के उन पदों का वही तात्पर्य माना जाएगा जैसा कि उस प्रकार के विषय के जानकार उस शब्द का तात्पर्य निकालते हैं। इस संबंध में कमिश्नर सेल टेक्स बनाम भगतराम एंड कम्पनी, 1966 जे.एल.जे. 772 का अवलोकन करें।

इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द की परिभाषा का उपयोग दूसरे अधिनियम में उसी शब्द से संबंधित अगर मूल अधिनियम का उल्लेख हो तो उस पद का तात्पर्य उस अन्य अधिनियम में दी गई परिभाषा से लिया जा सकता है। सन्तसिंह लढ़ाराम बनाम ज्ञानदास पानिका, 1976 एम.पी.एल.जे. 338 (एफ.बी)।

शब्द की परिभाषा में शब्दकोष का कितना उपयोग किया जा सकता है अथवा परिभाषा में अधिनियम में दी गई परिभाषा का क्या स्थान है, इसकी सुन्दर व्याख्या डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट बनाम पी. कोशलराम, ए.आई.आर. 1971 एस.सी.1283 में दी है। साथ ही और देखें स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश बनाम बहादुर बेलराजराम, 1976 एम.पी.एल.जे. 317 (डी.बी.)।

और देखें - एम.एन. हुडा बनाम किकाबाई, ए.आई.आर. 1953 नाग. 251 = आई.एल.आर. (1953) नाग. 137 = 1953 एन.एल.जे. 189। आनंद निवास (प्रा.) लिमिटेड बनाम आनंदजी, ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 414। डायमंड शुगर मिल्स बनाम राज्य, ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 652 = (1961) 1 एस.सी.जे. 652। जी. एहमद बनाम ई. ट्रिब्यूनल, ए.आई.आर. 1958 एम.पी. 224। मध्यप्रदेश राज्य बनाम आज़ाद भारत फायनेंस कंपनी, ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 276 = 1967 जे.एल.जे. 953 = 1967 एम.पी.एल.जे. 14। हेमदत्त बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1969 एम.पी.एल.जे. 506। खूबचन्द बनाम राज्य, ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1074। गोपीनाथ नैनसुख बनाम गिरधरदास विशेश्वरदास, 1977 एम.पी.एल.जे. 358।

(3) सक्षम अधिकारी -- इस अधिनियम के लिए सक्षम अधिकारी वह व्यक्ति माना जाएगा जिसकी नियुक्ति धारा 3 के अधीन सक्षम अधिकारी के रूप में अधिसूचना द्वारा की गई हो। म.प्र. राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1976 के पृष्ठ 694 पर प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर राज्य का प्रत्येक कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सक्षम अधिकरी नियुक्त किया गया है। यह अधिसूचना धारा 17 के अधीन शक्ति का उपयोग करते हुए प्रकाशित की गई है।

निर्णय विधि के लिये देखें - श्रीमती सुंदरबाई बनाम मध्यप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1984 एम.पी. 146 (डी.बी.)।

(4) परिसर -- इस अधिनियम हेतु परिसर से तात्पर्य कोई भी भवन अथवा भजन के कोई भाग और उसमें उस भवन अथवा उसके भाग से लगे हुए उद्यान, मैदान तथा अन्य भूमि सम्मिलित माने गए हैं। उस भवन का या उसके भाग को अधिक उपयोगी बनाये जाने वाले प्रत्येक भवन के फिटिंग

परिसर माने गए हैं। उदाहरणार्थ, बिजली की फिटिंग, नल की फिटिंग अथवा अन्य कोई फिटिंग जो भवन अथवा उसके भाग में किया गया है, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित माना गया है।

अस्थायी व्यादेश पारित करने की विचारण न्यायालय की शक्ति -- कब प्रयुक्त की जाना चाहिए। ऐसा अस्थायी व्यादेश पारित की विचारण न्यायलय की शक्ति की जिसमें वाद ग्रहण करने की अधिकारिता वर्जित थी, प्रभावकारिता तथा शक्ति पूर्णत: समाप्त नहीं होती। (1984) 1 जी.एल.आर. 66 अवलंबित। निश्चित ही वादी वाद के निपटारे तक नहीं, अपितु वाद के चलाने योग्य होने के प्रश्न के विनिश्चय तक अस्थायी व्यादेश के आदेश का हकदार था और इस प्रश्न का विनिश्चय यथासंभव शीघ्रता से करना होगा। शंभुदयाल सक्सेना बनाम म.प्र. राज्य, 1986 जे.एल.जे. 217 = 1986 एम.पी.एल.जे. 32।

(5) लोक परिसर -- स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित, अथवा उसके द्वारा अथवा उनकी ओर से पट्टे पर लिए गए या केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा सृजित अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन परिसर, लोक परिसर है। (1992) 2 विधि भास्वर 184, नामंजूर एवं 1992 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 74, अनुमोदित। **मीना अग्रवाल (श्रीमती) बनाम चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल, शिवपुरी और अन्य, 2008 (3) MPLJ 153 (FB)** = 2007 (1) जे.एल.जे. 188 (पूर्ण न्यायपीठ)।

'लोक परिसर' शब्द की व्याख्या के लिये देंखे - आर.पी. शर्मा बनाम सक्षम अधिकारी, 1992 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 74 (म.प्र.)।

परिसर नगरपालिका की संपत्ति -- यथा परिभाषित ''लोक परिसर'' नहीं -- ऐसे परिसर बेदखली अधिनियम के उपबंधों से विनियमित नहीं होते। 1992 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 74 भी देखें।

नगरपालिका का परिसर धारा 2 (ङ) में यथा परिभाषित ''लोक परिसर'' नहीं है। दुर्गा प्रसाद वर्मा बनाम नगरपालिक निगम, ग्वालियर, 2001 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 147।

प्रायवेट सम्पत्ति -- को अधिनियम का लागू होना -- सिविल न्यायालय की अधिकारिता -- विवादित मकान मध्यप्रदेश सरकार की सम्पत्ति नहीं था -- मकान लोक परिसरों की परिधि के भीतर नहीं आता था -- अभिनिर्धारित, सिविल न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित नहीं है; अधिनियम, 1974 विवादित सम्पत्ति को लागू नहीं होता था। भगवानीबाई बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य, 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 367 (म.प्र.) = 2006 (1) एम.पी.एल.जे. 370 = ए.आई.आर. 2006 एम.पी. 84.

विवादित मकान न तो मध्यप्रदेश राज्य की संपत्ति है और न ही 'लोक परिसर' की बल्कि गैर-सरकारी निजी संपत्ति है -- अत: ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिनियम लागू नहीं होता -- अपीलार्थी/वादी की बेदखली के लिए चलाई गई कार्यवाहियाँ प्रारंभ से ही शून्य मानी गई -- घोषणा एवं व्यादेश के लिए वादी द्वारा दायर वाद सिविल कोर्ट के समक्ष चलने योग्य था। भगवानीबाई बनाम म.प्र. राज्य, 2006 (1) एम.पी.एल.जे. 370 = 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 367 (म.प्र.हा.को.) = 2006 रा.नि. 229 (उच्च न्यायालय) = ए.आई.आर. 2006 एम.पी. 84.

संपत्ति धारा 2 (ङ) के अनुसार ''लोक परिसर'' नहीं -- सक्षम प्राधिकारी को बेदखली की सूचना जारी करने की अधिकारिता नहीं है -- सिविल न्यायालय सि.प्र.सं. की धारा 9 के अधीन सिविल वाद ग्रहण कर सकता है। भगवानीबाई (श्रीमती) बनाम म.प्र. राज्य, 2006 रा.नि. 229

(उच्च न्यायालय) = 2006 (1) एम.पी.एल.जे. 370 = 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 367 (म.प्र.) = ए.आई.आर. 2006 एम.पी. 84.

लोक परिसर -- केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा सृष्ट स्थानीय प्राधिकरण के परिसर अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन परिसर सम्मिलित हैं। **मीना अग्रवाल (श्रीमती) बनाम चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल, शिवपुरी और अन्य, 2008 (3) MPLJ 153 (FB)** = 2007 (1) जे.एल.जे. 188 (पूर्ण न्यायपीठ)।

और देखें - हरिशंकर सोनी बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1991 जे.एल.जे. 506।

(6) किराया -- कोई भी ऐसा आकार, जो प्राधिकृत अधिभोग के लिए देय प्रतिफल उसमें सम्मिलित है, निगमित अधिकारी द्वारा देय समस्त प्रकार के कर या प्रभार जो विद्युत, जल अथवा अन्य सेवाओं के कर्त्तव्य के संबंध में देय हो।

(7) अप्राधिकृत अधिभोग -- किसी भी लोक परिसर के अप्राधिकृत अधिभोग उसे माना जाएगा जो कि --

(क) किसी भी शासकीय भवन, भवन के भाग अथवा भूमि पर अनाधिकारपूर्वक उपभोग या उपयोग किया जाना, अथवा

(ख) अगर किसी व्यक्ति को लोक परिसर आरम्भ में वैध रूप से उपयोग अथवा उपभोग हेतु दिया गया था वह अधिकार उस व्यक्ति का शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया हो अथवा अधिकारी का स्थानान्तरण होने के पश्चात् भी विधिपूर्वक रिक्त किया जाना आवश्यक होने पर भी रिक्त नहीं किया गया हो।

उपबंध अधिकारातीत नहीं। विनय शुक्ला बनाम म.प्र. राज्य, 2000 (3) एम.पी.एल.जे. 387।

न्याय दृष्टान्त के लिए और देखें -- अनिलकुमार जैन बनाम म.प्र. राज्य, 1983 एम.पी. डब्ल्यू. एन. 451 (म.प्र.)।

(8) नगर पालिका परिषद का परिसर -- नगर पालिका परिषद के परिसर धारा 2 (ङ) के उपबंध में समाविष्ट नहीं होते। ओमप्रकाश बनाम नगर पालिका परिषद बड़वाह, 1982 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 113 (म.प्र.)।

(9) स्थानीय प्राधिकारी के परिसर -- ऐसे परिसर लोक परिसर की परिभाषा में समाविष्ट होते हैं। आर.पी. शर्मा बनाम सक्षम प्राधिकारी ,1992 (2) एम.पी.डब्ल्यू. एन. 74।

(10) शासकीय कंपनी के परिसर -- ऐसे परिसर इस अधिनियम के अधीन लोक परिसर माने गये हैं। एस.एस. नायर बनाम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, 1980 एम.पी.आर. सी.जे. 140।

(11) पट्टा समाप्ति उपरान्त भी अधिवास पर कब्जे का प्रभाव -- जब किसी लोक परिसर के लिए किसी को पट्टा दिया गया हो और उस पट्टे की अवधि समाप्ति पर भी अगर वह उस परिसर पर अपना आधिपत्य कायम रखता है तो वह अप्राधिकृत अधिवास माना जावेगा। अनिलकुमार जैन बनाम म.प्र. राज्य, 1983 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 751 (म.प्र.)।

(12) सूचना-पत्र के अभाव में बेदखली संभव नहीं -- जब किसी व्यक्ति को किसी परिसर के संबंध में पट्टा दिया गया हो उस पट्टे की अवधि की समाप्ति पर अगर वह व्यक्ति अधिवास

रखता है तो वह अप्राधिकृत अधिवास धारा 2 (छ) के अंतर्गत माना जावेगा, ऐसे लोक परिसर से उस व्यक्ति को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्कासित करने के पूर्व धारा 4 के अनुसार कारण बताओ सूचना-पत्र दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में उसका निष्कासन विधिवत् नहीं माना जावेगा। अनिल कुमार जैन बनाम म.प्र. राज्य, 1983 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 451 (म.प्र.)।

3. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति -- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा --

[1][(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी; और]

(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सक्षम अधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित किए गए कर्त्तव्यों का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिन स्थानीय सीमाओं के भीतर तथा लोक परिसर के जिन प्रवर्गों के संबंध से किया जाएगा उन स्थानीय सीमाओं को या लोक परिसर के उन प्रवर्गों को परिनिश्चित कर सकेगी।

3. Appointment of competent authority -- The State Government may, by notification in the official Gazette --

[1][(a) appoint such person being an officer not below the rank of Assistant Collector or Deputy Collector as competent authority for the purposes of this Act; and]

(b) define the local limits within which, or the categories of public premises in respect of which, the competent authority shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on competent authority by or under this Act.

टिप्पणी

(1) संशोधन।

(2) सक्षम अधिकारी की नियुक्ति।

(3) अधिसूचना।

(1) संशोधन -- धारा 2 के समान इस धारा में भी दो बार संशोधन किये गए हैं। प्रथम संशोधन म.प्र. अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 की धारा 3 के अनुसार इस धारा के खंड (क) में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के पृष्ठ 712 पर प्रकाशित हुआ है। उपरोक्त बताए चरण (क) में निम्न प्रकार संशोधन किया गया था।

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 3 द्वारा स्थापित। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ।

''(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो असिसटेन्ट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद अधिकारी हो और जिसने ऐसा पद कम से कम पाँच वर्ष की कालावधि के लिए धारण किया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी; और''

इसके पश्चात् दूसरा संशोधन म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 3 के द्वारा इस धारा में किया गया है, उसके अनुसार उपरोक्त बताए पूर्व के धारा 3 का खंड (क) निरस्त करते हुए नूतन खंड स्थापित किया गया है। मूल अधिनियम में एवं प्रथम संशोधन में सक्षम अधिकारी की योग्यता के लिए 'असि. कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद का अधिकारी हो और जिसने ऐसा पद कम से कम पाँच वर्ष की कालावधि के लिए धारण किया हो' ये प्रावधान थे। इस प्रकार सक्षम अधिकारी के लिए यह एक अनिवार्य शर्त मानी गयी थी कि उसे असिस्टेन्ट कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर के पद का पाँच वर्ष का अनुभव हो। यह अनुभव की शर्त अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 के अनुसार समाप्त कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी की सक्षमता अर्थात् अनुभव के आधार पर जो पाँच वर्ष का असिस्टेन्ट या डिप्टी कलेक्टर के पद का अनुभव होना अनिवार्य माना गया था वह समाप्त कर दिया गया है, अर्थात् अब एक प्रकार से अनुभव के आधार पर असक्षम अधिकारी की सक्षम प्राधिकारी पद पर नियुक्ति की जाना संभव है। इस पर पुनर्विचार किया जाना उचित होगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति -- इस धारा में यह बताया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति कितनी योग्यता होने पर किस व्यक्ति की, किस प्रकार की जावेगी, इसकी प्रक्रिया बताई गई है। इस धारा में यह भी बताया है कि सक्षम प्राधिकारी के क्या कर्त्तव्य होंगे।

निर्णय विधि के लिये देखें - श्रीमती सुंदरबाई बनाम मध्यप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1984 एम.पी. 146 (डी.बी.)।

(3) अधिसूचना -- इस धारा के आरम्भ में ही 'राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा' का प्रयोग किया जाने से यह स्पष्ट है कि जिस प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी उसके संबंध में अधिसूचना जारी की जाना अनिवार्य है। अर्थात् यह उपबन्ध आज्ञापक है। इसके अभाव में की गई नियुक्ति अवैध मानी जावेगी, अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में किया जाना भी आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक अधिसूचना जब तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो जाती तब तक उस अधिसूचना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस संबंध में धारा 17 भी अवलोकनीय है।

कलेक्टरों की शक्तियों के प्रत्यायोजन की अधिसूचना 5-2-1975 को जारी परंतु राजपत्र में 16-4-1976 को प्रकाशित -- सक्षम प्राधिकारियों को नियुक्त करने की कलक्टर की 26-8-1975 को जारी अधिसूचना 19-9-1975 को प्रकाशित -- प्रत्याशा में होने के कारण सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति 16-4-1976 से वैध होती है। ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 458, अनुसरित। ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1102 तथा ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 269, निर्दिष्ट। **करण सिंह और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2010 (1) JLJ 48 = 2009 (I) MPWN 6 (page 18) = 2008 (4) MPLJ 338.**

बेदखली कार्यवाही -- उपखंड अधिकारी ने कलक्टर द्वारा किए गए निर्देश पर कार्यवाही चलाई -- अभिलेख पर यह दर्शाने, सुझाव देने अथवा साबित करने हेतु ऐसा कुछ नहीं था कि कलक्टर ने अधिकृत राजपत्र में इस आशय की कभी कोई अधिसूचना जारी अथवा प्रकाशित करवाई थी की

अमुक नाम का उपखंड अधिकारी बेखदली अधिनियम के उपबंधों के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाएगा -- यदि नामनिर्दिष्ट उपखंड अधिकारी के पक्ष में ऐसी कोई अधिसूचना नहीं थी कि वह म.प्र. लोक परिसर अधिनियम के उपबंधों के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाएगा, तो कलक्टर द्वारा या तो वैयक्तिक रूप से अथवा संवितरण ज्ञापन के अधीन महज निर्देश देने से उपखंड अधिकारी को बेदखली आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से कार्य करने की शक्तियाँ हासिल नहीं होंगी। इंदु गुप्ता बनाम म.प्र. राज्य, 1997 (2) एम.पी.एल.जे. 146।

[1][4. **बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने के लिए सूचना का जारी किया जाना --** (1) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति किसी लोक परिसर पर अप्राधिकृत अधिभोग रखे हुए है और यह कि उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकारी एक लिखित सूचना जारी करेगा जिसमें समस्त संबंधित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे विनिर्दिष्ट तारीख को इस बात का कारण दर्शित करें कि बेदखली का आदेश क्यों न किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना में --

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिन पर बेदखली का आदेश किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, और

(ख) समस्त संबंधित व्यक्तियों से, अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से, जो लोक परिसर पर अधिभोग रखे हुए हैं या जिनके संबंध में यह संभावना हो कि वे लोक परिसर पर अधिभोग रखे हुए हैं, या जो उसमें हित रखने का दावा करते हैं, यह अपेक्षा की जावेगी कि वे --

[1][4. **Issue of notice to show cause against order of eviction --** (1) If the competent authority is of the opinion that any persons are in unauthorised occupation of any public premises and that they should be evicted, the competent authority shall issue a notice in writing calling upon all persons concerned to show cause on the specified date why an order of eviction should not be made.

(2) The notice issued under sub-section (1) shall --

(a) specify the grounds on which the order of eviction is proposed to be made; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are, or may be, in occupation of, or claim interest in, the public premises --

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 4 के अनुसार धारा 4 के स्थान पर ये नूतन धारा अन्त:स्थापित की गई। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ।

(एक) प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, सूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीख, जो सूचना के जारी किए जाने की तारीख के बाद दस दिन से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी, को या उसके पूर्व दर्शित करें; और

(दो) दर्शित किए जाने वाले कारण के समर्थन में समस्त साक्ष्य विनिर्दिष्ट तारीख को पेश करें।

(3) सक्षम प्राधिकारी उक्त सूचना की तामील उसे लोक परिसर के बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर करवाएगा तथा ऐसी अन्य रीति में भी प्रकाशित की जाएगी, जैसी कि विहित की जाए, और तदुपरि उस सूचना के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसकी तामील समस्त संबंधित व्यक्तियों पर सम्यक् रूप से कर दी गई है।

(4) जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति लोक परिसर पर अधिभोग रखे हुए है, तो उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह उस सूचना की एक प्रति की तामील ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर डाक द्वारा या उसे उस व्यक्ति को परिदत्त करके या निविदत्त करके या ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा।]

(i) to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice, being a date not earlier than ten days from the date of issue thereof; and

(ii) to produce on the date specified all evidence in support of the cause to be shown.

(3) The competent authority shall cause the notice to be served by having it affixed on the outer door or some other conspicuous part of the public premises, and it shall also be published in such other manner as may be prescribed, whereupon the notice shall be deemed to have been duly served on all persons concerned.

(4) Where the competent authority knows or has reasons to believe that any persons are in occupation of the public premises then, without prejudice to the provisions of sub-section (3), it shall cause a copy of the notice to be served on every such person by post or by delivering or tendering it to that person or in such other manner as may be prescribed].

टिप्पणी

(1) संशोधन।
(2) सक्षम अधिकारी।
(3) सूचना-पत्र।
(4) सूचना-पत्र का प्रारूप।
(5) सूचना-पत्र की तामीली।
(6) नैसर्गिक न्याय।
(7) रिट याचिका।
(8) अति तकनीकी होना उचित नहीं।
(9) अपील।

(1) संशोधन -- यह धारा म.प्र. अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 की धारा 4 के द्वारा संशोधित की गई है जो निम्न प्रकार है -- यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को पृष्ठ 712 पर प्रकाशित हुआ।

"**4. सक्षम प्राधिकारी बेदखली का आदेश पारित करेगा** -- (1) आवंटन अधिकारी से प्राप्त हुई इस प्रभाव की जानकारी के आधार पर कि कोई व्यक्ति लोक परिसर पर अधिभोग उस दशा में रखे हुए है, जबकि उसे ऐसे अधिभोग के लिए प्राधिकार नहीं है या उस प्राधिकार का (चाहे वह अनुदान के रूप में हो या अन्तरण के किसी अन्य ढंग के रूप में हो), जिसके कि अधीन उसे लोक परिसर पर अधिभोग रखने के लिए अनुज्ञात किया गया था, अवसान हो जाने के या किसी भी कारण से उसका पर्यवसान कर दिया जाने के पश्चात् लोक परिसर पर अधिभोग रखे हुए है, सक्षम प्राधिकारी ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगी के या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, जो कि आवंटिती की ओर से या उसकी मार्फत या अन्यथा पूरे परिसर पर या उसके किसी भाग पर अधिभोग रखे हुए हो, विरुद्ध बेदखली का ऐसा आदेश लिखित में पारित कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह लोक परिसर को उस आदेश की तामील की तारीख के तीस दिन के भीतर खाली कर दे।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए आदेश की तामील आवंटिती पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो या तो उसकी (आवंटिती की) मार्फत या अन्यथा लोक परिसरों पर अधिभोग रखे हुए है, डाक द्वारा या लोक परिसर पर ऐसे व्यक्ति को या उसके कुटुम्ब के सदस्यों में से या उसके सेवकों में से किसी एक को वैयक्तिक रूप से देकर या परिदत्त करके या लोक परिसर के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकवाकर या उस आदेश को कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका कि उस परिक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित करके करेगा या करवाएगा और पूर्वोक्त रीतियों में से किसी भी एक रीति द्वारा की गई आदेश की तामील के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आवंटिती पर तथा समस्त ऐसे व्यक्तियों पर, जो कि आवंटिती की मार्फत या अन्यथा ऐसे परिसर पर अधिभोग रखे हुए हैं, समुचित तामील है।"

दूसरा संशोधन म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 4 के द्वारा इस धारा में किया गया है। इसके अनुसार उपरोक्त बताए पूर्व के संशोधन को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण धारा संशोधित की गई है, यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5 मई, 1981 के पृ० 936 पर प्रकाशित हुआ है। मूल धारा में सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया था कि वह अप्राधिकृत अधिभोगी की बेदखली किए जाने के पूर्व कारण बताओ सूचना-पत्र देगा, यह उपबन्ध प्रथम संशोधन जो अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 द्वारा किया गया था, समाप्त कर दिए गए थे। कारण बताओ सूचना-पत्र संबंधी प्रावधान अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 4 के द्वारा पुनर्स्थापित किए गए हैं। यह किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पुष्टि करता है। जहाँ तक न्यायदृष्टान्त का प्रश्न है मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने धारा 4 जो 1978 में संशोधित की गई थी, को अवैधानिक माना था, तत्पश्चात् 1981 में यह धारा पुनः संशोधित की गई इस संशोधित धारा को उच्च न्यायालय ने विधिवत् माना। अताउल्लाखान बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1988 म.प्र. 77 = 1988 जे.एल.जे. 294 = 1988 एम.पी.एल.जे. 99 इस निर्णय में उच्च न्यायालय ने यह माना है कि संविधान के अनुच्छेद 14

का उल्लंघन नहीं होता है। जिस निर्णय में पूर्व में इस धारा को अवैध माना है उसके लिए देखें मुनव्वर अहमद बनाम म.प्र. राज्य, 1980 एम.पी.एल.जे. 577 खंडपीठ।

(2) सक्षम अधिकारी -- जब अनुविभागीय अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया किन्तु ऐसे सक्षम अधिकारी की नियुक्ति के पूर्व निष्कासन संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया तब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि ऐसे आवेदन पर क्या सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सक्षम अधिकारी द्वारा निष्कासन संबंधी कार्यवाही को योग्य माना अति तकनीकी होना अव्यवहारिक माना गया। श्रीमती सुन्दरबाई बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1984 म.प्र. 146 खंडपीठ।

राजस्व न्यायालय के आबद्धकर आदेश के अनुसार संपत्ति राज्य की नहीं -- यह "लोक परिसर" नहीं है -- सक्षम प्राधिकारी को बेदखली कार्यवाही प्रारंभ करने की अधिकारिता नहीं। भगवानीबाई (श्रीमती) बनाम म.प्र. राज्य, 2006 रा.नि. 229 (उच्च न्यायालय) = 2006 (1) एम.पी.एल.जे. 370 = 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 367 (म.प्र.) = ए.आई.आर. 2006 एम.पी. 84.

(3) सूचना-पत्र -- इस धारा में जब सक्षम प्राधिकारी की राय में कोई व्यक्ति किन्हीं बेदखली के आदेश होने पर भी लोक परिसरों पर अप्राधिकृत अधिभोग करते हो तो उसकी राय में बेदखल किया जाना आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को सूचना-पत्र देकर उसे कारण बताने संबंधी निर्देश देगा, इस धारा में यह भी बताया है कि सूचना-पत्र की तामीली किस पर व किस विधि से की जाएगी। सक्षम अधिकारी लोक परिसर के बाहरी दरवाजे पर अथवा किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर चस्पाकर करवाएगा, अथवा ऐसी अन्य रीति से भी प्रकाशित करेगा, जैसा कि विहित किया गया हो, इसके पश्चात् यह माना जाएगा कि तामीली बराबर सम्यक् रूप से कर दी गई है। उपधारा (4) में यह और स्पष्ट किया गया है कि सूचना की एक प्रति की तामीली संबंधित व्यक्ति पर डाक द्वारा अथवा उसे उस व्यक्ति को परिदत्त करके अथवा निविदत्त करके अथवा अन्य रीति से जैसा विहित किया जाए, करवाया जाएगा। इस प्रकार सूचना-पत्र की तामीली विवादित व्यक्ति अथवा संबंधित व्यक्ति पर तामीली व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा विवादित परिसर पर चस्पा करके की जाएगी। सूचना-पत्र के अभाव में निष्कासन संभव नहीं है। अताउल्लाखान बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1988 म.प्र. 77 = 1988 एम.पी.एल.जे. 99 = 1988 जे.एल.जे. 294 खंडपीठ।

(4) सूचना-पत्र का प्रारूप -- सूचना-पत्र का प्रारूप इस अधिनियम के अधीन शासन द्वारा निर्मित नियम 3 सन् 1975 के अधीन 4(1) का कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रारूप (क) में दिया गया है, ऐसे प्रारूप का उपयोग प्राधिकारी द्वारा सूचना देते समय किया जाना आवश्यक है।

(5) सूचना-पत्र की तामीली -- सक्षम प्राधिकारी अप्राधिकृत अधिभोगी को कारण बताओ संबंधित सूचना-पत्र इस धारा में बताई प्रक्रिया के अनुसार तामील करेगा, इस धारा के अनुसार तामीली संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से की जाना आवश्यक है, उसके उपलब्ध नहीं होने पर परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर की जा सकती है। यह संभव नहीं होने पर डाक द्वारा सूचना प्रेषित की जा सकती है। साथ ही विवादित परिसर के बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर चिपकाकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा तथा अन्य विधि जो विहित की जाए, उसके अनुसार भी सूचना-पत्र की तामीली की जाना संभव है। इस संबंध में इस

अधिनियम के अधीन निर्मित नियम क्रमांक 4 का अवलोकन किया जाए, जहाँ सूचना में तामीली के संबंध में प्रक्रिया बताई है। दोंडी पिटवाकर भी सूचना दी जा सकती है।

निर्णय विधि के लिये देखें - राजमल बनाम खुशीलाल, 1978 (I) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 298। पंजाब नेशनल बैंक बनाम इंदरजीत सिंह, 1977 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 288। सीताराम बनाम देवाकांत, 1958 जे.एल.जे. 263। ढाल सिंह बनाम आनंद राव, 1960 जे.एल.जे. 865 = 1960 एम.पी.एल.जे. 1074 = ए.आई.आर. 1960 एम.पी. 378। अनिल कुमार जैन बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1983 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 451।

(6) नैसर्गिक न्याय -- नैसर्गिक न्याय का यह निश्चित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के पूर्व उसे कारण बताओ सूचना-पत्र दिया जावे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना दंडित किया जाना अथवा उसके विरुद्ध किसी प्रकार का आदेश दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध माना गया है। इस धारा में इस नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन मूल अधिनियम की धारा 4 में किया था, किन्तु अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 के द्वारा उसे निरस्त कर दिया था, तत्पश्चात् पुन: अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 के द्वारा इस नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए पुन: संशोधन किया जाकर पुन: उसकी रक्षा की गई है।

निर्णय विधि के लिये देखें - गिरीशचंद गोस्वामी बनाम ए.के. राय, ए.आई.आर. 1968 आसाम 52। आर.एम. रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य, 1969 एस.एल.आर. 43। संग्राम सिंह बनाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोटा, ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 425। करपक बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 150। बद्री प्रसाद बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1972 जे.एल.जे. 9।

(7) रिट याचिका -- इस अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के अधीन पारित आदेश को चुनौती दी जाने के लिए धारा 9 में अपील का प्रावधान होने से रिट याचिका में विचार नहीं किया जा सकता। इस आधार को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका जो भी प्रस्तुत की गई उसे धारा 9 के प्रकाश में निरस्त किया गया, किन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टान्त एस. जगदीशन बनाम ए.एम. जानकी अम्मल कॉलेज, ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1512 को आधारित मानते हुए न्यायहित में रिट याचिका के लंबित होने का समय धारा 9 की 15 दिन की अवधि से मुक्त करते सुनवाई हेतु अपील स्वीकार की जाने संबंधी उचित आदेश पारित किया। अताउल्लाखान बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1988 म.प्र. 77 = 1988 जे.एल.जे. 294 = 1988 एम.पी.एल.जे. 99। और देखें ए.आई.आर. 1996 जे. एण्ड के. 10।

(8) अति तकनीकी होना उचित नहीं है -- न्याय सिद्धान्त का यह स्पष्ट मत है कि न्यायदान करते समय न्यायालय ने अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, न्यायालय को न्यायहित में उदारता का पालन किया जाना आवश्यक है। श्रीमती सुन्दरीबाई बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1984 म.प्र. 146 खंडपीठ, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1353, ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 222, ए.आई.आर. 1982 कलकत्ता 91।

(9) अपील -- धारा 9 में इस अधिनियम के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील की जाने का प्रावधान है अगर किसी व्यक्ति ने अपील नहीं करते अन्य उपचार, रिट याचिका आदि में अनुतोष मांगा तो उदारता को ध्यान में रखते हुए वह समय जो अन्य कार्यवाही में नष्ट हुआ, को अपील में विहित 15

दिन की अवधि से मुक्त किया गया। अताउल्लाखान बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1988 म.प्र. 77 = 1988 जे.एल.जे. 294 = 1988 एम.पी.एल.जे. 99।

डिस्ट्रीक्ट ट्रेड एण्ड इंडस्ट्रीज सेंटर, इन्दौर द्वारा अर्जीदार को आबंटित भूखंड रद्द किये गये -- भूखंड रद्द करने के विरोध में आयुक्त इन्दौर प्रभाग को अपील -- अपील के लंबित रहने के दौरान भूखंड के आबंटन पर रोक जरूरी है -- इन परिस्थितियों में पक्षकारों को कथित भूखंड के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना होगा तथा तृतीय पक्षकार को अन्यसंक्रमित नहीं किया जाना चाहिए। **मंत्री मंत्री एण्ड कंपनी बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2008 (1) MPLJ 47 = 2008 (1) MPWN 90 (page 272).**

[1][5. **अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली --** (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को सक्षम प्राधिकारी ऐसा समस्त साक्ष्य लेगा जो कि दर्शित किए जाने वाले कारण के समर्थन में पेश किया जाए। यदि दर्शित किए गए कारण, यदि कोई हों, पर और किसी साक्ष्य पर, जो पेश किया जाए, विचार करने के पश्चात् तथा लोक परिसर के अभिकथित अप्राधिकृत अधिभोग के बारे में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि लोक परिसर अप्राधिकृत अधिभोग में है, तो सक्षम प्राधिकारी बेदखली का आदेश, उसमें अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से कर सकेगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि वह लोक परिसर उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उस लोक परिसर पर अथवा उसके किसी भाग पर अधिभोग रखे हुए हैं, ऐसी तारीख को, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, खाली कर दिया जाए और वह उस आदेश की एक प्रति लोक परिसर के बाहरी दरवाजे पर या उनके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवाएगा।

[1][5. **Eviction of Unauthorised occupants --** (1) On the date specified in the notice issued under sub-section (1) of section 4, the competent authority shall take all such evidence as may be produced in support of the cause to be shown. If, after considering the cause, if any, shown and any evidence that may be produced and after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard, regarding the alleged unauthorised occupation of the public premises, the competent authority is satisfied that the public premises are in unauthorised occupation, the competent authority may make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the public premises shall be vacated, on such date as may be specified in the order by all persons who may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the public premises.

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 4 के अनुसार धारा 5 के स्थान पर ये नूतन धारा अन्त:स्थापित की गई। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ। इसी अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 5-क का लोप किया गया।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया हो, आवेदन किया जाने पर, सक्षम प्राधिकारी उस परिसर को खाली करने के लिए ऐसा समय, जैसा कि वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के साथ मंजूर कर सकेगा जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे।

(3) यदि कोई अन्य व्यक्ति बेदखली के आदेश का --

(एक) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व, या

(दो) जहाँ उपधारा (2) के अधीन समय मंजूर किया गया हो, वहाँ ऐसे मंजूर किए गए समय के भीतर,

अनुपालन करने से इंकार करता है या उसका अनुपालन नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, उस व्यक्ति को लोक परिसर से बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा, तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो।]

(2) The competent authority may, on an application made by the person against whom an order is passed under sub-section (1), grant such time for vacating the premises as it deems fit subject to such conditions as it may deem fit to impose.

(3) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction—

(i) before the date specified in sub-section (1); or

(ii) where time is granted under sub-section (2) within the time as granted;

the competent authority or any other officer duly authorised by the competent authority in this behalf may evict that person from, and take possession of, the public premises and may, for that purpose, use such force as may be necessary.]

टिप्पणी

(1) संशोधन।
(2) विस्तार।
(3) स्वत्व संबंधी साक्ष्य।
(4) लोक परिसर।
(5) बेदखली का आदेश।
(6) कब्जा प्राप्त करना।
(7) सुनवाई का आधार।
(8) लोक न्यास की सम्पत्ति।
(9) रिक्त क्वार्टर पर अनधिकृत अधिवास।
(10) मौखिक अनुमति के आधार पर अधिवास अमान्य।
(11) गलत नंबर के क्वार्टर के आधार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।
(12) यह धारा और संविधान।
(13) वसूली का आदेश।
(14) विधिपूर्ण अभिधारी।
(15) सरकार के हक के संबंध में विवाद।
(16) यथास्थिति बनाए रखना।

(1) संशोधन -- इस धारा में राज्य सरकार द्वारा दो बार संशोधन किया गया है। प्रथम संशोधन मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 के द्वारा इस धारा को आमूल संशोधन किया गया एवं साथ में धारा क्रमांक 5-क नई स्थापित की गई थी, जो निम्न प्रकार है। यह अधिनियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को पृ. 712 पर प्रकाशित हुआ।

"**5. अप्राधिकृत अधिभोगी की बेदखली** -- यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर या युक्तियुक्त ऐसी और कालावधि, जिसे कि सक्षम प्राधिकारी मंजूर करना उचित समझे के भीतर अनुपालन करने से इन्कार करता है या अनुपालन नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, उस व्यक्ति को लोक परिसरों से बेदखल कर सकेगा तथा लोक परिसरों का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो।

5-क. आदेश की तामील की तारीख का परिभाषित किया जाना -- धारा 4 तथा 5 के प्रयोजनों के लिए 'आदेश की तामील की तारीख' से अभिप्रेत होगा --

(एक) जहाँ आदेश की तामील डाक द्वारा की जाए, वहाँ वह तारीख, जिसको कि वह आदेश डाक में डाला जाए;

(दो) जहाँ आदेश की तामील वैयक्तिक रूप से देकर या परिदत्त करके की जाए, वहाँ वह तारीख जिसको कि वह आदेश संबंधित व्यक्ति को दिया जाए या परिदत्त किया जाए;

(तीन) जहाँ आदेश की तामील चिपकवाकर की जाए, वहाँ ऐसे आदेश को चिपकवाए जाने की तारीख;

(चार) जहाँ आदेश की तामील समाचार-पत्र में उस आदेश को प्रकाशित करके की जाए, वहाँ वह तारीख जिसको कि वह प्रथम बार प्रकाशित किया जाए।"

दूसरा संशोधन मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 के द्वारा किया गया। इस संशोधन से धारा 5 पूर्णत: संशोधित की गई। धारा 5-क का लोप किया गया। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 5 मई, 1981 को पृष्ठ 936 पर प्रकाशित किया गया है।

(2) विस्तार -- इस धारा में अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के संबंध में विचार किया गया है। धारा 4 के अधीन जब अप्राधिकृत अधिभोगी को विधिवत् कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति होने के पश्चात् वह स्वयं अथवा इस धारा के अधीन अपने किसी प्रतिनिधि को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने पर अथवा आवश्यक होने पर प्रकरण को अन्तरित किए जाने की दशा में अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अप्राधिकृत अधिभोगी के संबंध में विचार किया जाकर उचित आदेश पारित किए जाने के संबंध में प्रक्रिया बताई है। साथ में इस धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर अधिभोगी निर्देशित तारीख तक परिसर का कब्जा नहीं देता है तो उससे बलपूर्वक कब्जा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकेगा इस पर भी विचार किया गया है।

(3) स्वत्व संबंधी साक्ष्य -- इस धारा में बेदखली के संबंध में विचार किया जाते समय यह आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी उभय पक्ष की साक्ष्य पर विचार करने के पूर्व शासन को यह स्पष्ट सिद्ध करना होगा कि विवादित परिसर पर शासन का स्वत्व है। इसके विपरीत अगर अप्राधिकृत अधिभोगी यह साबित करता है कि विवादित परिसर पर उसका कब्जा स्वत्वाधिकार अथवा अन्य प्रकार से विधिवत् है तो इस धारा के अधीन उससे परिसर का कब्जा शासन प्राप्त नहीं कर सकता। शिवकुमार बाई बनाम म.प्र. शासन, ए.आई.आर. 1967 एम.पी. 6 = 1967 एम.पी.एल.जे. 79 = 1966 जे.एल.जे. 976। इस निर्णय पर से राज्य शासन ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। उच्चतम न्यायलय ने उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की पुष्टि करते हुए यह मत व्यक्त किया कि शासन को अपना स्पष्ट स्वत्व सिद्ध किया जाना अनिवार्य है इसके पश्चात् ही वह आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। म.प्र. राज्य बनाम शिवकुमार बाई, ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 1477 = 1971 जे.एल.जे. 935 = 1972 एम.पी.एल.जे. 284 (एस.सी.) (एफ.बी.)।

नियम क्रमांक 5 के अनुसार अप्राधिकृत अधिभोगी अपने प्रतिनिधि द्वारा लिखित अधिकार देकर अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित करने हेतु कार्यवाही कर सकता है। नियम क्रमांक 6 के अनुसार अप्राधिकृत अधिभोगी अपने मामले को अन्य अधिकारी के यहाँ अन्तरण करा सकता है। प्रकरण अन्तरण के पश्चात् जिस अधिकारी के समक्ष यह प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत होता है तब वह अधिकारी चाहे तो जिस प्रकरण से प्रकरण अन्तरित होकर आया हो उसी प्रक्रम से सुनवाई आरम्भ कर सकता है अथवा प्रकरण की सुनवाई आरंभ से नूतन प्रकार से की जा सकती है।

निर्णय विधि के लिये और देखें - एम.पी. इण्डस्ट्रीज बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 671 = 1966 एम.पी.एल.जे. 256। 1980 जे.एल.जे. 310 = 1979 एम.पी.एल.जे. 808।

(4) लोक परिसर -- जैसा कि ऊपर बताया है उसी अप्राधिकृत अधिभोगी को किसी परिसर से बेदखल किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जावे उस समय अथवा उसके पूर्व यह आवश्यक है कि शासन विवादित परिसर को शासन के स्वत्व को सिद्ध करे उसके पूर्व कथित अप्राधिकृत अधिभोगी को विवादित परिसर से बेदखल नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश शासन बनाम शिवकुमार बाई, 1972 एम.पी.एल.जे. 284 (एस.सी.)। 'लोक परिसर' की व्याख्या के लिए देखें - आर.पी. शर्मा बनाम सक्षम अधिकारी, 1992 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 74। और देखें एस.एस. नायर बनाम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, 1980 एम.पी.आर.सी.जे. 140।

(5) बेदखली के आदेश -- उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात् अगर सक्षम अधिकारी की राय में विवादित परिसर शासन के स्वत्व की है और उस पर अप्राधिकृत अधिभोगी द्वारा कब्जा किया हुआ है तो वह उसे किसी निश्चित तारीख तक समय देगा जब तक कि अप्राधिकृत अधिभोगी को परिसर का कब्जा दे देना चाहिए। इस संबंध में अप्राधिकृत अधिभोगी आवश्यक होने पर अवधि को बढ़ाने संबंधी आवेदन कर और समय प्राप्त कर सकता है किन्तु जब अप्राधिकृत अधिभोगी दी हुई

अवधि में अथवा बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् भी अगर कब्जा नहीं देता है तो नियम क्रमांक 7 के अनुसार बलपूर्वक कब्जा प्राप्त किया जाना संभव है, जिसमें पुलिस सहायता ली जाने का भी समावेश है।

धारा 5 के अनुसार केवल एक आदेश अर्थात् बेदखली का आदेश अपेक्षित है -- कार्यवाहियों को बंद कर देना अधिनियम की धारा 5 के अधीन आदेश नहीं होगा -- अधिनियम की धारा 5 की भाषा का मात्र अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आदेश का तात्पर्य बेदखली का आदेश होगा -- जब अधिनियम की धारा 5 के अधीन बेदखली से संबंधित आदेश पारित नहीं किए जाते हैं तब अधिनियम की धारा 9 के तहत अपील कायम नहीं रखी जा सकेगी। खुशाल चंद बनाम म.प्र. राज्य, 2001 (1) एम.पी.एल.जे. 680 = 2001 (II) मनिसा नोट 64 पेज 217 (म.प्र.हा.को.) = ए.आई.आर. 2001 एम.पी. 187।

(6) कब्जा प्राप्त करना -- अप्राधिकृत अधिभोगी अगर विवादित परिसर का कब्जा नहीं देते ताला बन्द कर आधिपत्य अपना ही कायम रखते हैं तो नियम क्रमांक 7 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा शक्ति प्राप्त अन्य अधिकारी निम्न प्रकार से कब्जा प्राप्त कर सकते हैं :-

(1) परिसर के बंद ताले पर सील लगाकर, या

(2) दो साक्षियों की उपस्थिति में ताला तोड़कर या किसी द्वार, फाटक अथवा अन्य रोध को खोलकर अथवा खुलवाकर परिसर में प्रवेश कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार का कब्जा प्राप्त करने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिसर का कब्जा सूर्योदय के पूर्व अथवा पश्चात् प्राप्त नहीं किया जा सकेगा और बलपूर्वक खोले गए परिसर में अगर कोई सम्पत्ति हो तो उसकी एक तालिका दो साक्षियों की उपस्थिति में बनाई जाना आवश्यक है।

(7) सुनवाई का अवसर -- इस धारा के अधीन सक्षम अधिकारी ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर सकने में सक्षम है जिसे शासकीय परिसर, क्वार्टर अथवा अन्य निवास हेतु स्थान आवंटित किया गया होकर इस आवंटन की अवधि समाप्त होने पर अगर वह व्यक्ति उसके द्वारा अधिवासित परिसर का रिक्त कब्जा योग्य अधिकारी को वापिस नहीं करता है तो सक्षम अधिकारी उसे सूचना-पत्र देकर, सुनवाई का अवसर देकर निष्कासन संबंधी कार्यवाही करेगा। सूचना-पत्र एवं सुनवाई का अवसर के अभाव में सक्षम अधिकारी ऐसी परिस्थिति में भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा, यह सामान्य न्याय सिद्धान्त एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त पर आधारित है। जनरल एग्रो एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम म.प्र. राज्य, 1981 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 23। अनिल कुमार जैन बनाम म.प्र. राज्य, 1983 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 451 (एम.पी.)।

(8) लोक न्यास की सम्पत्ति -- एक मामले में मंदिर के साथ संपत्ति लोक न्यास की थी ऐसे मंदिर की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही थी। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि मंदिर की संपत्ति शासकीय थी ऐसी दशा में मंदिर की संपत्ति मंदिर की मूर्ति (भगवान शिव) की मानी जाती है ऐसी दशा में ऐसी संपत्ति के निष्कासन संबंधी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन वैधानिक मानी गयी। म.प्र. राज्य बनाम रुकमणी बाई, 1983 एम.पी.रे.क.ज. 185 नोट म.प्र.।

(9) रिक्त क्वार्टर पर अनधिकृत अधिवास -- आवेदक का जिस क्वार्टर पर कब्जा था वह उसे आवंटित नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को उस क्वार्टर पर आधिपत्य रखने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। श्रीमती जास्मीन बनाम म.प्र. राज्य, 1990 म.प्र.रे.क.ज. 57 एन.ओ.सी. म.प्र. उच्च न्यायालय।

(10) मौखिक सम्पत्ति के आधार पर अधिवास अमान्य किया गया -- अगर कोई व्यक्ति किसी लोक परिसर पर अपने अधिवास का आधार मौखिक अनुमति से दावा करता है और ऐसी मौखिक अनुमति को शासन की ओर से अस्वीकार किया जाता है तब उस व्यक्ति को ऐसे लोक परिसर पर आधिपत्य रखने का अधिकार नहीं होता। एक मामले में आवेदक को किसी प्राधिकारी द्वारा क्वार्टर का आवंटन नहीं किया किन्तु आवेदक का कथन था कि उसे मौखिक अनुमति प्राप्त हो गई थी और उसी आधार पर वह क्वार्टर पर अधिवास करता है। ऐसे अभिकथन को प्रतिप्रार्थी द्वारा अस्वीकार किए जाने की दशा में आवेदक लोक परिसर में अपना आधिपत्य नहीं रख सकता। श्रीमती जास्मीन बनाम म.प्र. राज्य, 1990 म.प्र.रे.क.ज. 57 एन.ओ.सी. म.प्र. उच्च न्यायालय।

(11) गलत नंबर के क्वार्टर के आधार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता -- आवेदिका नरसिंग कॉलेज, इन्दौर में ट्यूटर के पद पर कार्यरत थी उसका कथन यह था कि 1987 में वह बीमार होकर गर्भवती थी अत: उसने राजस्व आयुक्त इन्दौर को आवेदन-पत्र शासकीय क्वार्टर आवंटन के लिए निवेदन किया। चूंकि 10 स्टाफ क्वार्टर रिक्त थे अत: मेडिकल कॉलेज के डीन ने मौखिक तौर पर आवेदक को क्वार्टर क्रमांक 3/1 में अधिवास करने हेतु अनुमति दी और तबसे ही आवेदिका ऐसी अनुज्ञा के आधार पर उस क्वार्टर में निवास करती आयी है। आवेदक का कथन था कि उसे अनधिकृत अधिभोगी मानते हुए निष्कासित किया जा रहा है जबकि कार्यवाही क्वार्टर नंबर 2/1 से संबंधित है। वास्तव में क्वार्टर नंबर 3/1 में निवास कर रही है। अत: आवेदिका ने इस प्रकार का अनुतोष की मांग की है कि कथित कार्यवाही अवैध घोषित की जावे। इस मामले में प्रतिपक्ष ने मौखिक अनुमति दिया जाना अस्वीकार किया। अत: आवेदिका को गलत क्वार्टर नंबर के आधार पर किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। श्रीमती जास्मीन बनाम म.प्र. राज्य, 1990 म.प्र.रे.क.ज. 57 एन.ओ.सी. म.प्र. उच्च न्यायालय।

(12) यह धारा और संविधान -- इस अधिनियम में सामान्य भाड़ेदार एवं शासकीय भाड़ेदार में अन्तर माना गया है क्योंकि सामान्य भाड़ेदार का निष्कासन हेतु स्थान नियंत्रण अधिनियम निर्मित किया गया है जबकि शासकीय भाड़ेदारों के निष्कासन के संबंध में यह अधिनियम निर्मित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत ये उपबन्ध है अथवा नहीं, इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में इस अधिनियम के समकक्ष अधिनियम 'गवर्नमेंट प्रीमाइसेस इविक्शन एक्ट, 1952' के इसी प्रकार के उपबन्ध पर विचार करते हुए यह निर्णित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत उपबन्ध नहीं हैं अर्थात् इस अधिनियम के उपबन्धों को संवैधानिक आघात नहीं आती। जार्ज सालोमन बनाम सक्षम प्राधिकारी, 1958 एम.पी.एल.जे. 578।

(13) वसूली का आदेश -- प्रश्नाधीन आवास गृह में जबसे प्रत्यर्थी क्रमांक 1 का आधिपत्य अप्राधिकृत हो, तबसे जब तक वह आधिपत्य में बना रहता है तब तक के उपयोग और समस्त भार की

वसूली का आदेश संपदा अधिकारी पारित कर सकता है। सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम पुरुषोत्तम और अन्य, 2005 (I) एम.पी.ए.सी.जे. 255 (म.प्र.हा.को.)।

(14) विधिपूर्ण अभिधारी -- अप्राधिकृत अधिवासी की बेदखली -- प्रश्नगत भूमि 'शामिलात डेह' थी -- अभिनिर्धारित, चूंकि कुछ भाड़ा संदत्त किया जा चुका था, वह स्वत: अभिधारी को पट्टेदार नहीं बनाएगा; मात्र इस कारण से कि कोई व्यक्ति भाड़ा संदत्त कर चुका है, तो यह उसे अभिधारी के रूप में दावा करने के लिए हकदार नहीं बनाएगा; कोई विधिपूर्ण अभिधारी ऐसा अभिधारी होता है, जिसे विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् अभिधारी के रूप में ग्रहण किया गया है -- यदि, सरपंच या किसी पंच ने किसी व्यक्ति को नियमों के तहत विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अभिधारी रख लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को रखना प्राधिकृत या विधिपूर्ण नहीं होगा और उससे ग्राम पंचायत आबद्ध नहीं होगी। ग्राम पंचायत, ग्राम हरिपुरा बनाम आयुक्त, फिरोजपुर संभाग एवं अन्य, 2007 (I) ले.सु.को.टु. 167 = 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 282 (सु.को.) = जे.टी. 2006 (12) एस.सी. 153।

(15) सरकार के हक के संबंध में विवाद -- केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होने ऐसी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जो ''सरकार की संपत्ति'' है सरकार द्वारा बेदखली के लिए संक्षिप्त उपाय किया जा सकता है -- ऐसे मामले में जहाँ किसी संपत्ति पर सरकार के हक के संबंध में वास्तविक विवाद है, वहाँ सरकार स्वयं के पक्ष में इस आशय का एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती कि संपत्ति उसकी है, और ऐसे निर्णय के आधार पर उस व्यक्ति को बेदखल करने के लिए समरी उपाय का सहारा ले सकती है जिसने संपत्ति पर वास्तविक दावा अथवा हक के अधीन कब्जा कर रखा है -- पक्षकारों को सक्षम न्यायालय के समक्ष अपने हक को स्थापित करना होगा। खुशाल चंद बनाम म.प्र. राज्य, 2001 (1) एम.पी.एल.जे. 680 = 2001 (II) मनिसा नोट 64 पेज 217 (म.प्र.हा.को.) = ए.आई.आर. 2001 एम.पी. 187।

(16) यथास्थिति बनाए रखना -- डिस्ट्रीक्ट ट्रेड एण्ड इंडस्ट्रीज सेंटर, इन्दौर द्वारा अर्जीदार को आबंटित भूखंड रद्द किये गये -- भूखंड रद्द करने के विरोध में आयुक्त इन्दौर प्रभाग को अपील -- अपील के लंबित रहने के दौरान भूखंड के आबंटन पर रोक जरूरी है -- इन परिस्थितियों में पक्षकारों को कथित भूखंड के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना होगा तथा तृतीय पक्षकार को अन्यसंक्रमित नहीं किया जाना चाहिए। **मंत्री मंत्री एण्ड कंपनी बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2008 (1) MPLJ 47 = 2008 (1) MPWN 90 (page 272).**

सुसंगत निर्णय विधि के लिये और देखें - भगवानीबाई (श्रीमती) बनाम म.प्र. राज्य, 2006 रा.नि. 229 (उच्च न्यायालय) = 2006 (1) एम.पी.एल.जे. 370 = 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 367 (म.प्र.हा.को.) = ए.आई.आर. 2006 एम.पी. 84.

---

[1][**5-क.** *विलोपित।*] [1][**5-A.** *Omitted.*]

---

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 द्वारा विलोपित। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ।

6. अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा लोक परिसरों पर छोड़ी गई संपत्ति का व्ययन -- (1) जहाँ कोई व्यक्ति किन्हीं लोक परिसरों से धारा 5 के अधीन बेदखल किए गए हों, वहाँ सक्षम प्राधिकारी, उन व्यक्तियों को, जिनसे कि लोक परिसरों का कब्जा लिया गया है, चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात् तथा उस सूचना को कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका कि वह परिक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित करने के पश्चात्, ऐसे परिसरों में बच रही किसी सम्पत्ति को हटा सकेगा या हटवा सकेगा या लोक नीलाम द्वारा उसका व्ययन कर सकेगा।

(2) जहाँ कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन बेच दी गई हो, वहाँ उसके विक्रय आगम का, उसमें से विक्रय व्ययों की तथा उस रकम की, यदि कोई हो, जो कि किराये के बकाया या नुकसानी या खर्चों के मद्दे राज्य सरकार को या निगमित प्राधिकारी को शोध्य हो, कटौती करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को भुगतान कर दिया जाएगा जो कि सक्षम प्राधिकारी को उसे प्राप्त करने के हकदार प्रतीत होते हों :

परन्तु जहाँ सक्षम प्राधिकारी इस बारे में कि किस-किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को उस रकम का बाकी भाग देय है अथवा इस बारे में उसका प्रभाजन किस प्रकार किया जाए विनिश्चय करने में असमर्थ हो, वहाँ वह ऐसा विवाद सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. Disposal of property left on public premises by unauthorised occupants -- (1) Where any persons have been evicted from any public premises under section 5, the competent authority may after giving fourteen days notice to the person from whom possession of the public premises has been taken and after publishing the notice atleast one newspaper having circulation in the locality, remove or cause to be removed or dispose of by public auction any property remaining on such premises.

(2) Where any property is sold under sub-section (1), the sale proceeds thereof shall, after deducting the expenses of the sale and the amount, if any, due to the State Government or the corporate authority on account of arrears of rent or damage or costs, be paid to such person or persons as may appear to the competent authority to be entitled to the same :

Provided that where the competent authority is unable to decide as to the person or persons to whom the balance of the amount is payable or as to the apportionment of the same he may refer such dispute to the Civil Court of competent jurisdiction and the decision of the court thereon shall be final.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा में अप्राधिकृत अधिभोगी द्वारा लोक परिसर में छोड़ी गई सम्पत्ति के व्ययन के संबंध में विचार किया गया है। जब कोई अप्राधिकृत अधिभोगी अपनी कोई सम्पत्ति लोक

परिसर में छोड़ देता है अथवा लोक परिसर का कब्जा धारा 5 के अधीन बलपूर्वक प्राप्त किए जाने पर अथवा ताला तोड़कर प्राप्त किए जाने पर अप्राधिकृत अधिभोगी की कोई सम्पत्ति जिसकी तालिका नियम क्रमांक 7 (2) के अधीन बनाई जाती है उस सम्पत्ति का व्ययन इस धारा में बताई प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। प्रथम 14 दिन की सूचना देने के पश्चात् एवं समाचार-पत्र में सूचना का प्रकाशन करने पर अप्राधिकृत अधिभोगी अगर वह सम्पत्ति नहीं ले जाता है, तो शासन की ओर से उसे लोक नीलाम द्वारा उसका विक्रय कर दिया जाएगा तथा प्राप्त आगम से शासन का लोक नीलाम में अथवा अन्य प्रकार से जो व्यय हुआ हो वह तथा नुकसानी और अगर शेष किराया बाकी हो तो वह सब आगम में से जमा किए जाने के पश्चात् जो आकार शेष हो तो उसे अप्राधिकृत अधिभोगी अथवा उसकी ओर से उसे प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति को वह दे दिया जाता है। जब ऐसे आकार को प्राप्त करने के संबंध में एक से अधिक व्यक्ति अपना अधिकार बताते हैं तो सक्षम अधिकारी सिविल न्यायालय को मामला अन्तरित कर उनके आदेशानुसार उसका व्ययन किया जाता है। इस संबंध में सिविल न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम माना गया है।

---

7. लोक परिसरों के बाबत् किराये या नुकसानी का भुगतान अपेक्षित करने की शक्ति -- (1) जहाँ किसी व्यक्ति पर किन्हीं लोक परिसरों का देय किराया बकाया हो, वहाँ सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसका भुगतान [1][ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी किश्तों में] कर दे जैसे कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति किन्हीं लोक परिसरों पर अप्राधिकृत अधिभोग रखे हुए हो या किसी भी समय उन पर अप्राधिकृत अधिभोग रखे रहा हो, वहाँ सक्षम प्राधिकारी, नुकसानी के निर्धारण के ऐसे सिद्धान्तों को, जैसे कि विहित किए जाएँ, ध्यान में रखते हुए ऐसे परिसरों के उपयोग तथा अधिभोग मद्दे नुकसानी का निर्धारण कर सकेगा और आदेश द्वारा उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी किश्तों में, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, नुकसानी का भुगतान कर दे।

7. Power to require payment of rent or damages in respect of public premises -- (1) Where any person is in arrears of rent payable of any public premises, the competent authority may, by order, require that person to pay the same [1][within such time and in such instalments] as may be specified in the order.

(2) Where any person is, or has at any time been, in unauthorised occupation of any public premises, the competent authority may, having regard to such principles of assessment of damages as may be prescribed, assess the damages on account of the use and occupation of such premises and may, by order, require that person to pay the damages within such time in such instalments as may be specified in the order.

---

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को एक लिखित सूचना उससे, ऐसे समय के भीतर जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, इस संबंध में कारण दर्शाने की कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, अपेक्षा करते हुए जारी न कर दी गई हो और जब तक कि उसकी उन आपत्तियों पर, यदि कोई हो, तथा किसी ऐसे साक्ष्य पर, जिसे कि वह उनके समर्थन में पेश करे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

(3) No order under sub-section (1) or sub-section (2) shall be made against any person until after the issue of a notice in writing to the person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice, why such order should not be made and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of the same, have been considered by the competent authority.

टिप्पणी

(1) संशोधन। (2) विस्तार।

(1) संशोधन -- इस धारा की उपधारा (1) में 'ऐसी किश्तों' शब्दों का लोप कर उसके स्थान पर 'ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी किश्तों में' शब्द संशोधन द्वारा स्थापित किए गए हैं। यह संशोधन म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 6 के अनुसार किया गया है। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ है।

(2) विस्तार -- इस धारा में लोक परिसर के संबंध में शेष किराया अथवा नुकसानी का भुगतान कराये जाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति के संबंध में विचार किया गया है। इस धारा में तीन उपधाराएँ दी गई हैं। प्रथम उपधारा में यह बताया है कि अगर किसी अधिभोगी में कोई किराया अथवा नुकसानी देय हो तो उसका भुगतान सक्षम अधिकारी उचित किश्तों में प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी आदेश देगा कि किस प्रकार व कितनी किश्त में यह रकम अदा की जाए।

उपधारा (2) में यह बताया है कि अप्राधिकृत अधिभोगी द्वारा परिसर का कब्जा रखे जाने पर सक्षम अधिकारी किराये की नुकसानी का निर्धारण विहित सिद्धान्त के आधार पर करेगा और उसकी वसूली का आदेश इस धारा के अनुसार करेगा। वह नुकसानी ही आवश्यक होने पर किश्तों में जमा कराई जा सकती है, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी उचित आदेश पारित कर सकता है। इस संबंध में नियम क्रमांक 8 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि उसमें नुकसानी के निर्धारण हेतु किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, पर प्रकाश डाला गया है। उपधारा (3) में बताया है कि उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) में आदेश किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर नहीं दिया गया हो। संबंधित व्यक्ति जिससे किराया या नुकसानी वसूल होना है, को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह सिद्धान्त नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर

दिए बिना उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आदेश दिया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध माना गया है। इस धारा के अधीन विवाहित व्यक्ति को जो सूचना दी जाती है वह नियम 4 के अधीन बतलाई प्रक्रिया के अनुसार दी जाना आवश्यक है।

8. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ -- इस अधिनियम के अधीन कोई जाँच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी, जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और समय पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश किए जाने के लिए अपेक्षा करना,

(ग) कोई अन्य विषय जो कि विहित किया जाए।

8. Power of competent authority -- A competent authority shall, for the purpose of holding any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908), when trying a suit in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of the person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) any other matter which may be prescribed.

टिप्पणी

(1) विस्तार।

(2) यह धारा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।

(1) विस्तार -- इस धारा में सक्षम अधिकारी की क्या शक्तियाँ होंगी, उसके संबंध में विचार किया गया है। इस धारा में यह भी बताया है कि इस धारा के खंड (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में वाद के विचारण के समय सक्षम प्राधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 सन् 1908) के अधीन जो शक्तियाँ सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं वे ही शक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त होंगी। अर्थात् इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी सिविल न्यायालय की शक्तियों से वेष्टित किए गए हैं।

(2) यह धारा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) -- इस धारा में बताए उपबन्धों के लिए सक्षम प्राधिकारी सिविल न्यायालय की अधिकारिता रखेगा।

सिविल प्रक्रिया के द्वारा समन से तामीली आदि के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 27 से 32 तक में विचार किया गया है, जो सुविधा के विचार से नीचे दी जा रही है, साथ ही समन की

तामीली के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश पाँच, सोलह एवं सोलह-क में भी विचार किया है, इनके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता का अवलोकन किया जाए।

''समन और प्रकटीकरण

27. प्रतिवादियों को समन -- जहाँ कोई वाद सम्यक् रूप से संस्थित किया जा चुका है वहाँ उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा और उसकी तामील विहित रीति से की जा सकेगी और उसकी तामील ऐसे दिन को जो वाद के संस्थापन की तारीख से तीस दिन से बाद का न हो, विहित रीति से की जा सकेगी।

28. जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ समन की तामील -- (1) समन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिये ऐसे न्यायालय को और ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो उस राज्य में प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) वह न्यायालय जिसे ऐसा समन भेजा जाता है, उसकी प्राप्ति पर आगे ऐसे कार्यवाही करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा ही निकाला गया हो और तब वह उस समन को तथा उसके बारे में अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख को (यदि कोई हो) उसे निकालने वाले न्यायालय को लौटाएगा।

(3) जहाँ किसी दूसरे राज्य में तामील के लिए भेजे गए समन की भाषा उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिलेख की भाषा से भिन्न है वहाँ ऐसे अभिलेख का तथा उस उपधारा के अधीन भेजे गए अभिलेख का --

(क) यदि समन जारी करने वाले न्यायालय की भाषा हिन्दी है, तो हिन्दी में; या

(ख) यदि ऐसे अभिलेख की भाषा हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न है तो, हिन्दी या अंग्रेजी में, अनुवाद भी भेजा जाएगा।

29. विदेशी समनों की तामील -- वे समन और अन्य आदेशिकाएँ जो --

(क) भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता के उपबन्धों का विस्तार नहीं है; अथवा

(ख) किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है; अथवा

(ग) भारत के बाहर के किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया है कि उसे इस धारा के उपबन्ध लागू हैं;

निकाली गई हैं, उन राज्यक्षेत्रों में के न्यायालयों को भेजी जा सकेंगी जिन पर इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामील ऐसे की जा सकेगी मानो वे ऐसे न्यायालयों द्वारा निकाले गए समन हों।

30. प्रकटीकरण और उसके सदृश्य बातों के लिए आदेश की शक्ति -- ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएँ, न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर --

(क) ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिदान और उनका उत्तर देने से, दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति से और दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रूप मे पेश किए जाने योग्य हों, प्रकटीकरण, निरीक्षण पेश किए जाने, परिबद्ध किए जाने और लौटाये जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक या युक्तियुक्त हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम समन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेजों को पेश करने या पूर्वोक्त जैसे अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित हैं;

(ग) यह आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ द्वारा साबित किया जाए।

31. साक्षी को समन -- धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के उपबन्ध साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के पेश करने के लिए समनों को लागू होंगे।

32. व्यतिक्रम के लिए शास्ति -- न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है, हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए --

(क) उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा;

(ख) उसकी सम्पत्ति को कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा;

(ग) उसके ऊपर पाँच हजार रुपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा;

(घ) उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा।''

---

[1][**9. अपील** -- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक ऐसे आदेश की, जो किसी लोक परिसर के संबंध में धारा 5 या 7 के अधीन किया गया हो, अपील उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए अपील प्राधिकारी को होगी।

[1][**9. Appeals** -- (1) The State Government may, by notification appoint such person being an officer not below the rank of the Collector as appellate authority for the purpose of this Act in respect of such areas as may be specified in the not notification.

(2) An appeal shall lie from every order of the competent authority made in respect of any public premises under section 5 or section 7 to the appellate authority appointed under sub-section (1).

---

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 7 के अनुसार यह नूतन धारा स्थापित की गई। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ। इसी अधिनियम की धारा 8 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 9-क का लोप किया गया।

(3) उपधारा (1) के अधीन अपील --

(क) धारा 5 के अधीन किसी आदेश की अपील की दशा में उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर होगी; और

(ख) धारा 7 के अधीन किसी आदेश की अपील की दशा में उस तारीख से, जिसको वह आदेश अपीलार्थी को संसूचितकिया जाए, पन्द्रह दिन के भीतर होगी :

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि आवेदक समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था, तो वह अपील को पन्द्रह दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा।

(4) जहाँ सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश की अपील की जाए, वहाँ अपील प्राधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन को इतनी कुल कालावधि तक के लिए, जो साठ दिन से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी कि वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा यथासम्भव शीघ्रता के साथ निपटाई जाएगी।

(6) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे अपील प्राधिकारी के विवेकाधीन होंगे।]

(3) An appeal under sub-section (1) shall lie --

(a) in case of an appeal from an order under section 5, within fifteen days from the date of publication of the order under sub-section (1) of that section; and

(b) in the case of an appeal from an order under section 7, within fifteen days from the date on which the order is communicated to the appellant :

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of fifteen days, if such authority is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) Where an appeal is preferred from an order of competent authority, the appellate authority may stay the enforcement of that order for a total period not exceeding sixty days and on such conditions as it may deem fit.

(5) Every appeal under this section shall be disposed of by the appellate authority as expeditiously as possible.

(6) The costs of any appeal under this section shall be in the discretion of appellate authority].

टिप्पणी

(1) संशोधन।

(2) अपील प्राधिकारी।

(3) अवधि।

(4) यह धारा एवं रिट याचिका।

(5) अति तकनीकी होना उचित नहीं।

(6) स्थगन आदेश।

(7) अपील न्यायालय की प्रक्रिया।

(8) कब्जा/आधिपत्य।

(9) निष्कासन/बेदखली आदेश।

(1) संशोधन -- इस धारा में राज्य शासन द्वारा दो बार संशोधन किया गया है। प्रथम संशोधन मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 की धारा 5 के द्वारा किया गया है। यह अधिनियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के पृ. 712 पर प्रकाशित हुआ है। इस अधिनियम के द्वारा जो संशोधन किए गए हैं, वे निम्न प्रकार हैं :-

''(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(1-क) सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक ऐसे आदेश की, जो कि किन्हीं लोक परिसरों के संबंध में धारा 4 या धारा 7 के अधीन किया गया हो, अपील उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए अपील प्राधिकारी को होगी :

परन्तु धारा 4 के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी ऐसी अपील नहीं होगी जो कि उस आदेश की वैधता को या उस जानकारी की जिस पर कि ऐसा आदेश आधारित है शुद्धता को चुनौती देती हो।''

''(क) धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश की अपील के मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन के आदेश की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर;''

''(3) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता के साथ उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।''

''9-क. राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण -- राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से, ऐसे आदेश के या किसी ऐसी कार्यवाही के, जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई/पारित किया गया हो तथा जिसके विरुद्ध धारा 9 के अधीन कोई अपील न की गई हो, अभिलेखों को ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अथवा ऐसी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगी तथा उनकी परीक्षा कर सकेगी और उनके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश उस व्यक्ति को, जिस पर कि उस आदेश का प्रभाव पड़ा हो, मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।''

इसके पश्चात् मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 7 के अनुसार इस धारा में आमूल संशोधन किया जाकर पूरी धारा नई स्थापित की गई है। यह अधिनियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ है। इसी अधिनियम की धारा 8

के अनुसार अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 द्वारा नूतन धारा 9-क स्थापित की गई थी, उसका अब लोप किया गया।

मूल अधिनियम में अपील के अधिकार 'जिला न्यायाधीश या उस जिले में का कम से कम दस वर्ष की स्थिति वाला ऐसा अन्य न्यायिक अधिकारी' को दिए गए थे जबकि संशोधन अधिनियम में अपील अधिकारी 'किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी हो' को दिए गए हैं। इस संशोधन से स्पष्ट है कि अपील के अधिकार पूर्व में जो न्यायिक अधिकारी को दिए गए थे वे अब कार्यपालिका के अधिकारी अर्थात् कलेक्टर को दिए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन यह हुआ है कि पूर्व में जो अपील धारा 4 में सूचना की तामीली के संबंध में हो सकती थी वह अधिकार संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

(2) अपील प्राधिकारी -- जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है कि मूल अधिनियम के अनुसार अपील अधिकारी जिला न्यायाधीश अथवा न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती रही है। संशोधन के द्वारा अब यह अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को दिए गए हैं। यह आवश्यक है कि अपील अधिकारी की नियुक्ति अधिसूचना द्वारा जिसका प्रकाशन राजपत्र में किया जाना आवश्यक है, की जावेगी। अपील प्राधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश जो धारा 5 एवं धारा 7 के अधीन लोक परिसर के संबंध में दिए जावेंगे उनकी अपील श्रवण करने एवं आदेश देने का अधिकार होगा।

(3) अवधि -- अपील करने हेतु इस धारा में निम्नानुसार निश्चित की गई है --

(क) धारा 5(1) के अधीन परिसर पर से अप्राधिकृत आधिपत्य को हटाए जाने संबंधी आदेश के प्रकाशन से 15 दिन के अंदर अपील प्रस्तुत की जाना संभव है;

(ख) इसी प्रकार धारा 7 के अधीन संबंधित व्यक्ति से अप्राधिकृत आधिपत्य के संबंध में भाड़ा क्षतिपूर्ति आदि की राशि की मांग के आदेश की जानकारी से 15 दिन में अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

उपधारा (2) में एक परन्तुक द्वारा अपील प्राधिकारी को यह अधिकार भी प्रदान किए गए हैं कि, यदि कोई अपीलार्थी उपरोक्त बताई 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर भी अवधि के बाहर अपील देरी में प्रस्तुत करने का अपील प्राधिकारी को पर्याप्त कारण होने का सामधान करा देता है तो अपील अधिकारी वह अपील सुनवाई हेतु ग्रहण कर सकेगा और देरी के लिए क्षमा प्रदान कर सकेगा, पर्याप्त कारण हेतु देखें, एस. जगदीश बनाम ए.एम.जानकी अम्मल कॉलेज, ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1512, अताउल्ला बनाम म.प्र. शासन, ए.आई.आर. 1988 म.प्र. 77 = 1988 जे.एल.जे. 294 = 1988 एम.पी.एल.जे. 99। करीम बक्ष बनाम दौलतराम, 183 पी.आर. 1888 (पूर्णपीठ), बालमुकुन्द शर्मा बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 1957 राज.एल.डब्ल्यू. 36, अमरनाथ बनाम मूलराज, ए.आई.आर. 1975 पी. एण्ड एच. 246, दीनबन्धु साहू बनाम जदूमती मंगराज, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 411 = (1955) 1 एस.सी.आर. 140 = 1954 एस.सी.जे. 505।

(4) यह धारा और रिट याचिका -- इस अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के अधीन पारित आदेश को चुनौती दी जाने के लिए धारा 9 में अपील का प्रावधान होने से रिट याचिका में विचार नहीं

किया जा सकता इस आधार को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका जो भी प्रस्तुत की गई उसे धारा 9 के प्रकाश में निरस्त किया गया किन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टान्त एस. जगदीश बनाम ए.एम. जानकी अम्मल कॉलेज, ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1512 को आधारित मानते हुए न्यायहित में रिट याचिका के लंबित होने का समय धारा 9 की व 15 दिन की अवधि से मुक्त करते सुनवाई हेतु अपील स्वीकार की जाने संबंधी उचित आदेश किया गया। अताउल्ला बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1988 एम.पी. 77 = 1988 जे.एल.जे. 294 = 1988 एम.पी.एल.जे. 99। और देखें बशीर किलन बनाम श्यामलाल, ए.आई.आर. 1996 जे. एण्ड के. 105।

(5) अति तकनीकी होना उचित नहीं है -- न्याय सिद्धान्त का यह स्पष्ट मत है कि न्यायदान करते समय न्यायालय ने अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, न्यायालय को न्यायहित में उदारता का पालन किया जाना आवश्यक है। श्रीमती सुन्दरीबाई बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1984 म.प्र. 146 खंडपीठ, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1353, ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 222, एस.आय.आय. 1982 कलकत्ता 91।

(6) स्थगन आदेश -- इस धारा की उपधारा (3) के अनुसार अपील प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान की गई है कि सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, की कार्यवाही को स्थगित किए जाने के संबंध में आदेश प्रदान कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार अगर सक्षम प्राधिकारी के आदेश का पालन हो जाता है, अर्थात् लोक परिसर से अपीलार्थी निष्कासित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा की गई अपील निष्फल हो जाती है। जहाँ तक धारा 7 में वर्णित आगम वसूली का प्रश्न है, वह अपील के परिणामस्वरूप वापस अपीलार्थी को दिया जाना संभव है, किन्तु निष्कासन होने के बाद उसकी क्षति ऐसी होगी जिसकी पूर्ति सामान्य रूप से की जाना संभव नहीं है। इस आधार पर अपील अधिकारी को जो स्थगन संबंधी शक्ति दी गई है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है।

आबंटन के रद्दकरण तथा बेकब्जा किए जाने के विरुद्ध अपील लंबित -- कब्जे के बारे में रोक प्रदान की जाना चाहिए। **मंत्री मंत्री एण्ड कंपनी बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2008 (1) MPWN 90 (page 272) = 2008 (1) MPLJ 47.**

(7) अपील न्यायालय की प्रक्रिया -- अपील न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शासन द्वारा 1975 में बनाए गए नियम क्रमांक 9 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जहाँ पर अपील न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में पूर्णतः प्रकाश डाला गया है। सन् 1975 में शासन द्वारा निर्मित नियम अधिनियम के बाद दिए गए हैं।

(8) कब्जा/आधिपत्य -- श्रम न्यायालय में समाप्ति के आदेश को चुनौती दी गई, इस आधार पर कर्मचारी का आधिपत्य प्राधिकृत नहीं हो जाता है। सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम पुरुषोत्तम और अन्य, 2005 (I) एम.पी.ए.सी.जे. 255 (म.प्र.हा.को.)।

(9) निष्कासन/बेदखली आदेश -- अधिनियम की धारा 4 और 5 को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट है कि यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिया जाता है कि निष्कासन का आदेश क्यों न दिया जावे। धारा 5 यह उपबंध करती है कि यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि लोक परिसर अनधिकृत

आधिपत्य में है तो वह सक्षम प्राधिकारी निष्कासन का आदेश दे सकता है। इस प्रकार से धारा 5 केवल आदेश का उल्लेख करता है अर्थात् निष्कासन के आदेश का। कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश अधिनियम की धारा 5 के अधीन आदेश नहीं होगा। अधिनियम की धारा 5 को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट है कि आदेश से अभिप्राय होगा निष्कासन का आदेश। निष्कासन का आदेश या धारा 5 अथवा 7 के अधीन पारित आदेश मात्र अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपील योग्य है। खुशाल चन्द्र बनाम म.प्र. राज्य, 2001 (II) मनिसा नोट 64 पेज 217 (म.प्र.हा.को.) = 2001 (1) एम.पी.एल.जे. 680 = ए.आई.आर. 2001 एम.पी. 187।

धारा 5 के अनुसार केवल एक आदेश अर्थात् बेदखली का आदेश अपेक्षित है -- कार्यवाहियों को बंद कर देना अधिनियम की धारा 5 के अधीन आदेश नहीं होगा -- अधिनियम की धारा 5 की भाषा का मात्र अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आदेश का तात्पर्य बेदखली का आदेश होगा -- जब अधिनियम की धारा 5 के अधीन बेदखली से संबंधित आदेश पारित नहीं किए जाते हैं तब अधिनियम की धारा 9 के तहत अपील कायम नहीं रखी जा सकेगी। खुशाल चंद बनाम म.प्र. राज्य, 2001 (1) एम.पी.एल.जे. 680 = 2001 (II) मनिसा नोट 64 पेज 217 (म.प्र.हा.को.) = ए.आई.आर. 2001 एम.पी. 187।

अधिनियम की धारा 9 में ''प्रत्येक आदेश'' शब्द का अर्थ बेदखली का आदेश होगा। खुशाल चंद बनाम म.प्र. राज्य, 2001 (1) एम.पी.एल.जे. 680 = 2001 (II) मनिसा नोट 64 पेज 217 (म.प्र.हा.को.) = ए.आई.आर. 2001 एम.पी. 187।

---

[1][9-क. *विलोपित।*]

10. आदेशों की अन्तिमता -- इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सक्षम प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी मूल वाद, आवेदन या निष्कासन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा तथा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारियों द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

[1][9-A. *Omitted.*]

10. Finality of orders – Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by a competent authority or appellate authority under this Act shall be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceeding and no injunction shall be granted by any Court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

---

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 द्वारा विलोपित। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 5 मई, 1981 के पृष्ठ 936 पर प्रकाशित हुआ।

टिप्पणी

(1) संशोधन।
(2) विस्तार।
(3) सिविल वाद का वर्जन।

(1) संशोधन -- इस अधिनियम में राज्य सरकार की ओर से दो बार संशोधन किए गए हैं। प्रथम संशोधन मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 की धारा 7 के द्वारा इस धारा में 'अपील प्राधिकारी' के पश्चात् 'या राज्य सरकार' शब्द जोड़े गए हैं। यह अधिनियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 अप्रैल, 1978 पृष्ठ 712 पर प्रकाशित किया गया।

दूसरा संशोधन मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 18 सन् 1981 की धारा 8 के अनुसार किया गया है। इसके अनुसार उपरोक्त बताए संशोधन 'या राज्य सरकार' शब्दों का लोप किया गया है। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 5 मई, 1981 को पृष्ठ 936 पर प्रकाशित किया गया।

(2) विस्तार -- इस धारा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को अन्तिमता प्रदान की गई है। अर्थात् सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध केवल अपील न्यायालय में अपील की जाना संभव है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सक्षम अधिकारी के आदेश से अगर अपील नहीं की गई हो तो वह आदेश अन्तिम माना जावेगा, और अपील न्यायालय में अपील की जाने के पश्चात् अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम माना जावेगा, उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही इस धारा के अधीन वर्जित की गई है।

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित केवल धारा 9 में ही अपील का प्रावधान किया गया है, इस प्रकार अपील प्राधिकारी के आदेश अन्तिम माने गए हैं।

धारा 11 में अपराध तथा शास्ति के संबंध में विचार करते हुए यह बताया है कि सक्षम अधिकारी अथवा अपील अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने पर धारा 11 के अनुसार अप्राधिकृत अधिभोगी को मजिस्ट्रेट के द्वारा दंडित किया जाना संभव है किन्तु इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम, 1975 में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उसके कर्त्तव्य एवं अधिकार आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(3) सिविल वाद का वर्जन -- अस्थायी व्यादेश जारी किए जाने के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं होता। 1992 जे.एल.जे. 340, 1988 जे.एल.जे. 549, ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1298 तथा ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 893 अवलंबित। वीरेन्द्र कुमार जैन (डॉ.) बनाम म.प्र. राज्य, 1998 (2) विधि भास्वर 190।

प्रत्यर्थी क्र. 5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन परिसरों से अर्जीदार की बेदखली का आदेश पारित किया गया -- कोई अकृतता नहीं एवं कोई वाद दायर करके सिविल न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता -- आदेश के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश प्रदान करना अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सही रूप में अस्वीकृत किया गया। **करण सिंह और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2010 (1) JLJ 48 = 2009 (I) MPWN 6 (page 18) = 2008 (4) MPLJ 338.**

सुसंगत निर्णय विधि के लिये और देखें - शंभुदयाल सक्सेना बनाम म.प्र. राज्य, 1986 जे.एल.जे. 217 = 1986 एम.पी.एल.जे. 32।

11. अपराध तथा शास्ति -- (1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं लोक परिसरों से बेदखल कर दिया गया हो, उन परिसरों पर पुन: अधिभोग रखने के प्राधिकार के बिना उन पर पुन: अधिभोग रखेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन सिद्धदोष ठहराने वाला कोई मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बेदखल करने के लिए संक्षेपत: आदेश कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी बेदखली का दायी होगा।

11. Offences and penalty -- (1) If any person who has been evicted from any public premises under this Act again occupies the premises without authority for such occupation, he shall be punishable with imprisonment for a term to the extent of one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) Any magistrate convicting a person under sub-section (1) may make an order for evicting that person summarily, and such person shall be liable to such eviction without prejudice to any other action that may be taken against him under this Act.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा में ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगी को दंडित किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जो अधिनियम की धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी अथवा अपील अधिकारी के आदेश के अंतर्गत बेदखल कर दिया गया हो, किन्तु उसके पश्चात् भी अगर वह पुन: परिसर पर अपना आधिपत्य रखता है, अथवा बिना वैधानिक अधिकार के कब्जा कर लेता है, तब उसके द्वारा किए गए अपराध को सिद्ध किए जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सिद्धदोष ठहराया जाने के पश्चात् मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार बेदखल किए जाने का आदेश दिया जा सकता है, तथा इस धारा के अनुसार उसे एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

12. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति -- यदि सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति किन्हीं लोक परिसरों पर अप्राधिकृत अधिभोग रखते हुए है, तो सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति से या किन्हीं अन्य

12. Power to obtain information -- If the competent authority has reason to believe that any persons are in unauthorised occupation of any public premises, the competent authority or any other officer authorised by him in this behalf may require those persons or any other

व्यक्तियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे उन लोक परिसरों पर अधिभोग रखने वाले व्यक्तियों के नामों तथा अन्य विशिष्टियों से संबंधित जानकारी दे दें और इस प्रकार अपेक्षित किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऐसी जानकारी देने के लिए आबद्ध होगा जो कि उसके कब्जे में हो।

person to furnish information relating to the names and other particulars of the persons in occupation of the public premises and every person so required shall be bound to furnish the information in his possession.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा में यह बताया है कि सक्षम प्राधिकारी को अगर यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति किसी लोक परिसर का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा है तब ऐसे सक्षम प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसे इस संबंध में सूचना हो, से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह इस संबंध में जानकारी दें। इस जानकारी में उन सभी व्यक्तियों का समावेश है जिनको ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगियों की जानकारी हो, जिन व्यक्तियों को अप्राधिकृत आधिपत्य रखने वाले अधिभोगियों की जानकारी है उन्हें सक्षम अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश देने पर उस व्यक्ति को उचित जानकारी दी जाने के लिए बाध्य किया गया है।

13. वारिसों तथा विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व -- (1) जहाँ कोई व्यक्ति जिसके कि विरुद्ध किराये का बकाया अवधारित करने के लिए नुकसानी का निर्धारण करने के लिए कोई कार्यवाही की जानी हो या की जा चुकी हो, कार्यवाही की जाने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान मर जाए, वहाँ वह कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकेगी या यथास्थिति चालू रखी जा सकेगी।

(2) कोई भी ऐसी रकम, जो चाहे किराये के बकाया के रूप में या नुकसानी या खर्चों के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को या निगमित प्राधिकारी को शोध्य हो, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा देय होगी, किन्तु उनका दायित्व मृतक की उन आस्तियों के परिणाम तक ही सीमित होगा जो कि उनके हाथ में हो।

13. Liability of heirs and legal representatives -- (1) Where any person against whom any proceeding for the determination of arrears of rent or the assessment of damages is to be or has been taken dies before the proceeding is taken or during the pendency thereof, the proceeding may be taken or, as the case may be, continued against the heirs or legal representatives of that person.

(2) Any amount due to the State Government or the corporate authority from any person whether by way of arrears of rent or damages or costs shall after the death of the person, be payable by his heirs or legal representatives but their liability shall be limited to the extent of the assets of the deceased in their hands.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा में दो उपधाराएँ दी गई हैं। प्रथम उपधारा में यह बताया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई रकम किराये की बकाया लेना अथवा नुकसानी का निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही की गई हो, या लंबित हो, और उस दौरान अगर वह व्यक्ति अर्थात् अप्राधिकृत अधिभोगी की मृत्यु हो जावे, ऐसी दशा में उस व्यक्ति के वारिसों अथवा उनके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही यथास्थिति चालू रखी जा सकेगी अर्थात् अप्राधिकृत अधिभोगी की मृत्यु के पश्चात् उसके विरुद्ध लंबित कार्यवाही जो सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, के वारिसों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध चलायी जाकर उचित आदेश दिया जाना सम्भव होगा।

उपधारा (2) में यह बताया है कि अप्राधिकृत अधिभोगी की ओर कोई रकम जो चाहे बकाये किराये के रूप में हो, अथवा नुकसानी या अन्य व्यय के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को अथवा निगमित प्राधिकारी को शोध्य हो, उस अप्राधिकृत अधिभोगी की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों अथवा विधिक प्रतिनिधियों से वसूल की जा सकती है, किन्तु वह राशि उस सीमा तक ही वसूल की जा सकती है, जो वारिस या विधिक प्रतिनिधि के पास मृतक की राशि आयी हो अर्थात् उन्हें उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई हो अर्थात् जो आकार मृतक से वसूल किया जाना हो, वह मृतक के वारिस अथवा वैध प्रतिनिधि से उस सीमा तक ही वसूल किया जा सकेगा जो उन्हें मृतक की सम्पत्ति में प्राप्त हुआ हो।

यह सिद्धान्त नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के आधार पर आधारित है इसका कारण यह है कि मृतक के वारिस अथवा उसके वैध प्रतिनिधि से ऐसी कोई राशि वसूल नहीं की जा सकती जो उन्हें मृतक के उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं हुई हो, अगर उनसे व्यक्तिगत रूप से ऐसी राशि जो उन्हें मृतक द्वारा प्राप्त नहीं हुई हो वसूल की जाती है, तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। क्योंकि विधिक प्रतिनिधि अथवा वारिस पर राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकारी की कोई राशि लेना नहीं होते भी उनसे वसूल की जाना किसी भी विधि के अंतर्गत उचित नहीं माना जा सकता।

---

14. किराये आदि की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली -- यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय किराये के बकाया का, या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन देय नुकसानी का या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निगमित प्राधिकारी को दिलवाए गए खर्चों का या ऐसे किराये, नुकसानी या खर्चों के किसी भाग का भुगतान उससे संबंधित आदेश में उसके लिए विनिर्दिष्ट किए गए समय, यदि कोई हो, के भीतर

14. Recovery of rent, etc. as an arrear of land revenue -- If any person refuses or fails to pay the arrears of rent payable under sub-section (1) of section 7 or the damages payable under sub- section (2) of that section or the costs awarded to the State Government or the corporate authority under sub-section (5) of section 9, or any portion of such rent, damages or costs, within the time, if any, specified

करने से इंकार करे या उसका भुगतान उस तरह न करे, तो सक्षम अधिकारी शोध्य रकम के लिए कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा जो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

therefor in the order relating thereto, the competent authority may issue a certificate for the amount due to the Collector who shall proceed to recover the same as an arrear of land revenue.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा में वह प्रक्रिया बतायी है जिसके अनुसार किसी अप्राधिकृत अधिभोगी के धारा 7 की उपधारा (1) के देय किराये के बकाया का या उपधारा (2) के अधीन देय नुकसानी का अथवा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकारी को दिलवाए गए व्यय अथवा उनके किसी भाग का भुगतान संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाने पर किस प्रकार वसूल किया जाएगा। ऐसी वसूली का साधन इस धारा में यह बताया है कि सक्षम प्राधिकारी शोध्य रकम के संबंध में कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र जारी कर, वह आकार भू-राजस्व के बकाया के समान वसूल किए जाने की अपेक्षा करेगा।

15. अधिकारिता का वर्जन -- किसी भी न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किन्हीं लोक परिसरों पर अप्राधिकृत अधिभोग रखे हुए हो बेदखली के संबंध में या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय किराये के बकाया की या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन देय नुकसानी की या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निगमित प्राधिकारी को दिलवाए गए खर्चों की या ऐसे किराये, नुकसानी या खर्चों के किसी भाग की वसूली के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करे।

15. Bar of jurisdiction -- No court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of the eviction of any person who is in unauthorised occupation of any public premises or the recovery of the arrears of rent payable under sub-section (1) of section 7, or the damages payable under sub-section (2) of that section or the costs awarded to the State Government or the corporate authority under sub-section (5) of section 9 or any portion of such rent, damages or costs.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा में यह बताया है कि इस अधिनियम के अधीन किसी लोक परिसर पर अप्राधिकृत अधिभोग रखे हुए व्यक्ति के विरुद्ध धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय किराये की बकाया या उपधारा (2) के अधीन देय नुकसानी अथवा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निगमित प्राधिकारी को दिलवाए गए व्यय अथवा उनके किसी भाग की वसूली के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। अर्थात् समस्त प्रकार के न्यायालय की अधिकारिता पर इस धारा के अधीन प्रतिबन्ध लगाया गया है। इससे तात्पर्य यह है कि

इस धारा में वर्णित राशि की वसली के विरुद्ध सिविल न्यायालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

वाद का वर्जन -- प्रतिवादी की बेदखली लोक परिसर में ईप्सित नहीं -- वर्जन लागू नहीं होता। एच.आर. सेन गुप्ता बनाम म.प्र. विद्युत मंडल, 1999 (1) विधि भास्वर 185।

प्रायवेट सम्पत्ति -- को अधिनियम का लागू होना -- सिविल न्यायालय की अधिकारिता -- विवादित मकान मध्यप्रदेश सरकार की सम्पत्ति नहीं था -- मकान लोक परिसरों की परिधि के भीतर नहीं आता था -- अभिनिर्धारित, सिविल न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित नहीं है; अधिनियम, 1974 विवादित सम्पत्ति को लागू नहीं होता था। भगवानीबाई बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य, 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 367 (म.प्र.हा.को.) = 2006 (1) एम.पी.एल.जे. 370 = 2006 रा.नि. 229 (उच्च न्यायालय) = ए.आई.आर. 2006 एम.पी. 84.

विवादित मकान न तो मध्यप्रदेश राज्य की संपत्ति है और न ही 'लोक परिसर' की बल्कि गैर-सरकारी निजी संपत्ति है -- अत: ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिनियम लागू नहीं होता -- अपीलार्थी/वादी की बेदखली के लिए चलाई गई कार्यवाहियाँ प्रारंभ से ही शून्य मानी गई -- घोषणा एवं व्यादेश के लिए वादी द्वारा दायर वाद सिविल कोर्ट के समक्ष चलने योग्य था। भगवानीबाई बनाम म.प्र. राज्य, 2006 (1) एम.पी.एल.जे. 370 = 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 367 (म.प्र.हा.को.) = 2006 रा.नि. 229 (उच्च न्यायालय) = ए.आई.आर. 2006 एम.पी. 84.

संपत्ति धारा 2 (ङ) के अनुसार "लोक परिसर" नहीं -- सक्षम प्राधिकारी को बेदखली की सूचना जारी करने की अधिकारिता नहीं है -- सिविल न्यायालय सि.प्र.सं. की धारा 9 के अधीन सिविल वाद ग्रहण कर सकता है। भगवानीबाई (श्रीमती) बनाम म.प्र. राज्य, 2006 रा.नि. 229 (उच्च न्यायालय) = 2006 (1) एम.पी.एल.जे. 370 = 2006 (II) एम.पी.ए.सी.जे. 367 (म.प्र.हा.को.) = ए.आई.आर. 2006 एम.पी. 84.

---

16. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण -- राज्य सरकार या निगमित प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के या किसी ऐसे अधिकारी के, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो, के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों या किए गए किन्हीं भी आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका कि इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवही नहीं होगी।

16. Protection of action taken in good faith -- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the corporate authority of the appellate authority or the competent authority or any officer authorised by the competent authority under this Act, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or of any rules or orders made thereunder.

टिप्पणी

विस्तार -- इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यवाही को सद्भावनापूर्वक की गई मानी जाएगी और उस संबंध में उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस धारा से यह स्पष्ट है कि इस धारा के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए कार्य को सद्भावनापूर्वक किया गया माना जाकर किसी भी कार्यवाही उनके विरुद्ध की जाने से उनकी रक्षा की गई है इसका कारण यह है कि अगर इस प्रकार की सुरक्षा ऐसे प्राधिकारी अथवा अधिकारी की नहीं की जाए तो वे अपना कार्य निर्भयता एवं नि:संकोच रीति से नहीं कर सकते, इस कारण उनके द्वारा पारित आदेश निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे। अत: इस प्रकार का प्रतिबन्ध उचित एवं आवश्यक होने से रखा गया है। इस प्रकार के प्रावधान लगभग सभी अधिनियम में इसी उद्देश्य से रखे जाते हैं। यह ध्यान रखा जाना भी आवश्यक है कि केवल सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही को ही सुरक्षा प्रदान की गई है। अर्थात् जहाँ कार्यवाही असद्भावनापूर्वक की गई हो, द्वेषवश अथवा अन्य कारण से की गई कार्यवाही को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

17. शक्तियों का प्रत्यायोजन -- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई भी शक्ति ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

17. Delegation of powers -- The State Government, by notification in the official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act shall subject to such conditions if any, as may be specified in the notification be exercisable also by an officer of the State Government.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा में राज्य सरकार को ऐसी शक्ति दी गई है जिसका उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को इस नियम के अधीन किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करेगी तो उस संबंध में अधिसूचना द्वारा जो राज्य शासन के राजपत्र में प्रकाशित होगी, यह स्पष्ट किया जाएगा कि किस अधिकारी को क्या शक्ति राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार द्वारा म.प्र. राजपत्र में दि. 16-4-1976 के पृष्ठ 694 पर एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार प्रत्येक जिले के कलेक्टर अपनी अधिकार सीमा के अधीन इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए हैं, उसे ऐसी शक्तियाँ जो सक्षम प्राधिकारी को होती हैं, दी गई हैं।

कलेक्टरों की शक्तियों के प्रत्यायोजन की अधिसूचना 5-2-1975 को जारी परंतु राजपत्र में 16-4-1976 को प्रकाशित -- सक्षम प्राधिकारियों को नियुक्त करने की कलक्टर की 26-8-1975 को जारी अधिसूचना 19-9-1975 को प्रकाशित -- प्रत्याशा में होने के कारण सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति 16-4-1976 से वैध होती है। ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 458, अनुसरित।

ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1102 तथा ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 269, निर्दिष्ट। **करण सिंह और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2010 (1) JLJ 48 = 2009 (I) MPWN 6 (page 18) = 2008 (4) MPLJ 338.**

निर्णय विधि के लिये और देखें - इंदु गुप्ता बनाम म.प्र. राज्य, 1997 (2) एम.पी.एल.जे. 146 ।

---

18. नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :-

(क) किसी भी ऐसी सूचना का प्रारूप जिसका कि इस अधिनियम के अधीन दिया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत किया गया हो, तथा वह रीति जिसमें कि उसकी तामील की जा सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जाँचों का किया जाना;

(ग) सक्षम प्राधिकारियों को कार्य का वितरण तथा बंटवारा, किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को अन्य सक्षम प्राधिकारी को हस्तान्तरित करने;

(घ) लोक परिसरों का कब्जे लेने के संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) वह रीति जिसमें प्राधिकृत अधिभोग के लिए नुकसानी का निर्धारण किया जा सकेगा और वे सिद्धान्त जो कि ऐसी नुकसानी का निर्धारण करते समय ध्यान में रखे जा सकेंगे;

18. Power to make rules -- (1) The State Government may, by notification, in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the form of any notice required or authorised to be given under this Act and the manner in which it may be served;

(b) the holding of inquiries under this Act;

(c) the distribution and allocation of work to competent authorities, transfer of any proceeding pending before a competent authority to another competent authority;

(d) the procedure to be followed in taking possession of public premises;

(e) the manner in which damages for unauthorised occupation may be assessed and the principles which may be taken into account in assessing such damages;

[1][(च) वह रीति जिसमें अपीलें की जा सकेंगी तथा वह प्रक्रिया जो कि अपीलों में अपील प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाएगी;]

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

[1][(f) the manner in which appeals may be preferred and the procedure to be followed in appeals by the appellate authority;]

(g) any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall be laid down on table of the Legislative Assembly.

टिप्पणी

(1) संशोधन।
(2) नियम बनाने की शक्ति।
(3) नियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन (delegation)।
(4) नियम की वैधता।
(5) नियम का विधानसभा के पटल पर रखा जाना।

(1) संशोधन -- इस धारा में मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 की धारा 8 के द्वारा उपधारा (2) के खंड (च) के स्थान पर नूतन खंड (च) स्थापित किया गया है। पूर्व के खंड (च) को लोप कर नूतन खंड की स्थापना की गई है। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को पृ. 712 पर प्रकाशित हुआ।

(2) नियम बनाने की शक्ति -- इस धारा में राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के संबंध में आवश्यक होने पर नियम निर्मित किए जाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अवश्य है कि शासन किस प्रकार के नियम बनावे उसके लिए कोई निश्चित विधि निर्मित नहीं की गई, किन्तु फिर भी ऐसे सिद्धान्त निश्चित किए गए हैं जिनको नियम बनाते समय ध्यान में रखा जाना उचित माना गया है, ये निम्न प्रकार के हैं :-

(1) जो नियम बनाए जावें वे अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में हों।

(2) नियम ऐसे बनाए जावें जिन्हें विधि की शक्ति माना जाकर जहाँ तक संभव हो ये नियम अधिनियम के प्रावधानों से साम्यता स्थापित करें। अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध आशय रखने वाले नियम नहीं बनाए जाना चाहिए।

(3) नियम एक दूसरे के विपरीत नहीं हों।

(4) जो नियम बनाए जावें उसका एक अर्थ निकले और वह अर्थ अधिनियम के उपबंधों के विपरीत नहीं हो।

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1978 की धारा 8 द्वारा अन्त:स्थापित। यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 4 अप्रैल, 1978 के पृष्ठ 712 पर प्रकाशित हुआ।

(5) जो प्रक्रिया अधिनियम में बताई है उसके विपरीत आशय रखने वाले नियम का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

(6) अधिनियम की धाराओं के अर्थ के विपरीत नियम नहीं बनाए जाना चाहिए।

(7) जो नियम बनाए जावें वे अधिनियम के उपबन्धों में समानता स्थापित करें, और गति प्रदान करें। ऐसे नियम नहीं बनाए जाना चाहिए जो अधिनियम की गति को अवरुद्ध करें।

(3) नियम बनाने के अधिकार का प्रत्यायोजन (delegation) -- जहाँ तक विधि का प्रश्न है नियम बनाने की शक्ति राज्य शासन को दी गई है और यह शक्ति स्पष्ट उपबन्धित नहीं हो तब तक नियम बनाने की यह शक्ति प्रत्यायोजन किया जाना संभव नहीं है। गणपतिसिंह बनाम अजमेर राज्य, ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 188, हरिशंकर बागला बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 765, लक्ष्मीबाई बनाम म.प्र. राज्य, 1957 ए.आई.आर. नागपुर 94 = आई.एल.आर. 1957 नागपुर 563।

यह निश्चित सिद्धान्त है कि शासन द्वारा नियम बनाने की शक्ति के अधीन जो प्रारूप बनाए जाते हैं उनसे अधिनियम का निर्वचन अथवा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। हरपालदास जयरामदास फर्म बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, बिलासपुर, 1964 एम.पी.एल.जे. 419 (खंडपीठ) = 1965 जे.एल.जे. 744। यह भी सिद्धान्त है कि जब किसी अधिनियम में प्राप्त शक्ति के आधार पर नियम बनाए जावें तब उस विधि के अनुसार ही नियम बनाए जाना चाहिए। नियम बनाने की अन्य प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना चाहिए। मेसर्स छोटाभाई जेठाभाई पटेल एंड कं. बनाम म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1953 सु.को. 108। और देखें सज्जारमल सावनदास बनाम म्युनिसिपल कौन्सिल, 1964 एम.पी.एल.जे. 793 (खंडपीठ)।

नियमों को कब अवैध ठहराया जा सकता है इस संबंध में देखें - ए.आई.आर. 1942 मद्रास 617।

(4) नियम की वैधता -- नियम की वैधता के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ निश्चित नियम बनाए हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

(अ) जो नियम बनाए गए हैं वे संविधान के अनुच्छेद के उपबन्धों का विरोध तो नहीं हैं। रशीद अहमद बनाम म्युनिसिपल बोर्ड, ए.आई.आर. 1950 एस.सी. 163, गोपाल चेट्टी बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्सट्रेंकटशन, ए.आई.आर. 1955 मैसूर 81।

(ब) जो नियम बनाए वे उचित हैं अथवा नहीं और क्या वे इस कार्य हेतु एवं इस अधिनियम के उपबन्धों को गति देने हेतु निर्मित किए गए वे क्या अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होंगे।

(स) अधिनियम के समानता रखते हुए नियम का निर्माण किया गया है अथवा नहीं।

(5) नियम विधान सभा के पटल पर रखा जाना -- इस धारा की उपधारा (3) में यह स्पष्ट उपबन्धित किया गया है कि जो नियम राज्य शासन बनावेगा उन्हें यथासंभव शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जावेगा उससे विधायिका उस पर विचार विनिमय कर सके उनके स्वीकार किये जाने पर यह नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात् उनका पालन किया जाता है। प्रभुशरण बनाम शिवदत्त, 1958 जे.एल.जे. 771 (खंडपीठ) = 1958 एम.पी.एल.जे. 270।

इस धारा के अधीन राज्य शासन द्वारा सन् 1975 में नियमों का निर्माण किया गया है जो अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-43-74-दो-ए (3) के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। ये नियम अधिनियम के बाद में दिए गए हैं।

19. निरसन -- मध्यप्रदेश गवर्नमेंट प्रिमाइसेस (इविक्शन) एक्ट, 1952 (क्रमांक 16 सन् 1952) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

19. Repeal -- The Madhya Pradesh Premises (Eviction) Act, 1952 (No. 16 of 1952) is hereby repealed.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के समान जो पूर्व में अधिनियम (मध्यप्रदेश गवर्नमेंट प्रिमाइसेस (इविक्शन) एक्ट, 1952) (क्रमांक 16 सन् 1952) था निरस्त किया गया है। निरसन का क्या प्रभाव होता है यह साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 में बताया है। सुविधा हेतु यह धारा निम्न प्रकार अवधारित की जा रही है।

6. जहाँ कि यह अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् बनाया गया कोई केन्द्रीय अधिनियम या विनियम अब तक बनाई गई या एतद्पश्चात् बनाई जाने वाली किसी अधिनियमिति को निश्चित कर देता है वहाँ तब कि भिन्न आशय प्रतीत न हो वह निरसन --

(क) उस निरसन के प्रभावशाली होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यम किसी बात को पुनरुज्जीवित नहीं करेगा, अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तदाधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा, अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत् किसी उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं डालेगा, अथवा

(ङ) किसी यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, शास्ति, समपहरण या दंड के बारे में के किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई भी शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो वह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न था।

इस धारा पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति रामास्वामी ने अपने विचार टी.एस. बलैया बनाम टी.एस. रंगाचारी, (1969) 3 एस.सी.आर. 65, (1975) 3 उम.नि.प. 565 पर इस प्रकार व्यक्त किए हैं। इस धारा का सिद्धान्त यह है कि जब तक निरसनकारी अधिनियम में कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो तब तक कोई भी विधिक कार्यवाही निरसित अधिनियम के अधीन लम्बित किसी प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार संस्थित की जा सकती है और उसे चालू रखा जा सकता है मानो निरसन के समय वह अधिनियम प्रवृत्त था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब किसी अधिनियम का निरसन किया जाता है तब ही साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 में कथित परिणाम होंगे जब तक कि जैसा कि उस धारा में कहा गया है निरसन करने वाली विधि में कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो।

मामूली निरसन के संबंध में राय अभिव्यक्त करने का कोई कारण नहीं होता, किन्तु जब निरसन के बाद उसी विषय पर पुनः नया विधान होता है तब न्यायालय को निःसंदेह नये अधिनियम के उपबन्धों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, किन्तु यह केवल यह अवधारित करने के लिए ही क्या उनसे

भिन्न आशय का संकेत मिलता है, प्रश्न यह नहीं है कि नये अधिनियम पुराने अधिकार और दायित्व सक्रिय रहते हैं अथवा नहीं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या उससे उन अधिकारों और दायित्वों को व्यक्त करने काआशय प्रकट होता है।

निरसन अधिनियम का प्रभाव लम्बित प्रकरण एवं अपील को लागू होता है -- श्याम सुन्दरलाल बनाम शुगनचंद, ए.आई.आर. 1967 इलाहाबाद 24, निर्णय पत्रिका 1976 राजस्थान 596।

20. विधिमान्यताकरण -- किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, किसी ऐसी बात या कार्यवाही (जिसमें बनाए गए नियम या किये गए आदेश, जारी की गई सूचनाएँ, आदिष्ट या की गई बेदखली, निर्धारित की गई नुकसानी, वसूल किए गए किराये या नुकसानी या खर्चे, शुरू की गई कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं) के संबंध में, जो मध्यप्रदेश गवर्नमेंट प्रिमाइसेस (इविक्शन) एक्ट, 1952 (क्रमांक 16 सन् 1952) (जो इसमें इसके पश्चात् सन् 1952 के अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के अधीन की गई हो या जिसका कि उस तरह किया जा चुकना तात्पर्यित रहा हो, यह समझा जाएगा कि वह इस तरह विधिमान्य तथा प्रभावी है मानो कि ऐसी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के जो कि धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन महाकौशल क्षेत्र में 12 सितम्बर, 1952 को तथा अन्य क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1959 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई थी और तद्नुसार :-

(क) सन् 1952 के अधिनियम के अधीन वसूल किए गए किसी किराये या नुकसानी या खर्चों की वापसी के लिए, उस दशा में जबकि ऐसी वापसी का दावा केवल इस आधार पर किया गया हो कि उक्त अधिनियम असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दिया गया है, किसी भी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक

20. Validation -- Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, anything done or any action taken (including rules or orders made, notices issued, evictions ordered or effected damages assessed, rent or damages or costs recovered and proceedings initiated) or purported to have been done or taken under the Madhya Pradesh Government Premises (Eviction) Act, 1952 (No. 16 of 1952) (hereinafter referred to as the 1952 Act) shall be deemed to be as valid and effective as if such thing or action was done or taken under sub-section (3) of section 1 deemed to have come into force in the Mahakoshal region on the 12th September, 1952 and the other regions on the 1st January, 1959 and accordingly :-

(a) no suit or other legal proceedings shall be maintained or continued in any court for the refund of any rent or damages or costs recovered under the 1952 Act, where such refund has been claimed merely on the ground that the said Act has

कार्यवाही न तो चलाई जाएगी और न चालू रखी जाएगी; और

(ख) कोई भी न्यायालय सन् 1952 के अधिनियम के अधीन वसूल किए गए किसी किराये या नुकसानी या खर्चों की वापसी का केवल इस आधार पर कि उक्त अधिनियम असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दिया गया है निदेश देने वाली किसी डिक्री या आदेश को प्रवर्तित नहीं करेगा।

been declared to be unconstitutional and void;

(b) no court shall enforce a decree or order directing the refund of any rent or damages or costs recovered under 1952 Act, merely on the ground that the said Act has been declared to be unconstitutional and void.

टिप्पणी

विस्तार -- इस धारा में यह स्पष्ट दिया गया है कि निरसित अधिनियम 'मध्यप्रदेश गवर्नमेंट प्रिमाइसेस (इविक्शन) एक्ट, 1952 (16 सन् 1952) के अधीन जो कार्यवाही की गई वे इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही मानी जावेगी तथा उसके विपरीत कोई भी कार्यवाही किसी भी सिविल न्यायालय में नहीं की जावेगी। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि सन् 1952 के अधिनियम के अंतर्गत वसूल किए गए किसी किराये के वापसी के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही या वाद सिविल न्यायालय में नहीं चलाई जा सकेगी अर्थात् सिविल न्यायालय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में यह स्पष्ट उपबन्ध है कि जब तक किसी अधिनियम में सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्रतिबन्धित नहीं की गई हो तो तब तक सिविल न्यायालय को प्रत्येक प्रकार के मामले की सुनवाई करने का अधिकार होता है। इस धारा में सिविल न्यायालय में कार्यवाही की जाने का स्पष्ट प्रतिबन्ध है। वहीद खान बनाम भवानी, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1718, नासिक सिंह बनाम भजोराम, ए.आई.आर. 1969 जे. एण्ड के. 9। इस धारा में यह भी स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी को पूर्ण मान्यता दी गई है, और उनके आदेशों को अन्तिमता प्रदान की गई है।

और देखें - रामप्रसाद बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1607। हासन नारायण बनाम असिसटेंट चेरिटी कमिश्नर, ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1742। करनसिंह बनाम प्रताप सिंह, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1305।

❑❑❑

म.प्र./छ.ग. लोक परिसर (बेदखली) नियम, 1975

The M.P./C.G. Lok Parisar (Bedakhali) Niyam, 1975

क्र. एफ. 13-43-74-दो-ए (3), भोपाल, 8 अप्रैल, 1975 -- मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम** -- ये नियम, **मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) नियम, 1975** कहे जा सकेंगे।

2. **परिभाषाएँ** -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974);

(ख) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप।

[1][3. **सूचनाओं का प्रारूप** -- अधिनियम के अधीन कोई सूचना समुचित प्रारूप में से किसी एक प्ररूप में होगी।]

4. [2][**सूचना तामील करने की रीति**] -- [2][(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) या धारा 7 की उपधारा (1) या (2) या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना] की तामील, उस व्यक्ति को जिसके लिए वह आशयित हो, या उसके परिवार के किसी

No. F. 13-43-74-II-A(3), Bhopal, the 8th April, 1975 -- In exercise of the powers conferred by section 18 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title** -- These rules may be called **the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Niyam, 1975.**

2. **Definitions** -- In these rules, unless the context otherwise requires --

(a) **"Act"** means the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974);

(b) **"Form"** means a Form appended to these rules.

[1][3. **Form of notices** -- A notice under the Act shall be in one of the appropriate forms.]

4. [2][**Manner of service of notice**] -- [2][(1) A notice issued under sub-section (1) of section 6 or sub-section (1) or (2) of section 7 or sub-section (1) of section 13 of the Act] shall be served by delivering or tendering a copy of the notice to the person for

1. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 18 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 315 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-37-80-दो-ए (तीन) दिनांक 6 मई, 1980 द्वारा नूतन नियम 3 स्थापित किया गया।
2. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 18 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 315 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-37-80-दो-ए (तीन) दिनांक 6 मई, 1980 द्वारा संशोधित।

वयस्क सदस्य को उसकी एक प्रति परिदत्त कर या निविदत्त कर या उसके प्रायिक या अन्तिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान पर अभिस्वीकृति प्राप्त रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक पत्र भेजकर दी जाएगी।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन सूचना की प्रति परिदत्त या निविदत्त की जाए, तब उस व्यक्ति के जिसे प्रति इस प्रकार प्रदत्त या निविदत्त की गई हो, तामील की अभिस्वीकृति के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(3) अधिनियम [1][...........] धारा 6 की उपधारा (1) या धारा 7 की उपधारा (1) या (2) या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के संबंध में जब ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के परिवार का वयस्क सदस्य अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करे या जब समस्त सम्यक् तथा युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् भी ऐसा व्यक्ति पाया न जा सके और ऐसे व्यक्ति के परिवार में कोई वयस्क सदस्य न हो, तब सूचना की एक प्रति, ऐसे व्यक्ति के उस स्थान के, जहाँ वह मामूली तौर से निवास करता हो, या कारबार के प्रायिक स्थान के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर चिपका दी जाएगी और उसकी सूचना की मूल प्रति उस पर इस आशय की रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया हो कि प्रति इस प्रकार चिपका दी गई है, किन-किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है और उस व्यक्ति का यदि कोई हो, नाम और पता क्या है, जिसने मामूली तौर से निवास के स्थान या कारबार के प्रायिक स्थान की पहचान की हो और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई हो, पृष्ठांकित या उपाबद्ध कर उस सक्षम प्राधिकारी को लौटा दी जाएगी जिसने सूचना जारी की हो।

whom it is intended or to any adult member of his family, or by sending it by registered post acknowledgment due in a letter addressed to that person at his usual or last-known place of residence or business.

(2) Where the copy of the notice under sub-rule (1) is delivered or tendered, the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered shall be obtained in token of acknowledgment of the service.

(3) In respect of a notice issued under [1][...........] sub-section (1) of section 6 or sub-sections (1) or (2) of section 7 or sub-section (1) of section 13 of the Act, where the person or the adult member of the family of such person refuses to sign the acknowledgment, or where such person cannot be found after using all due and reasonable diligence, and there is no adult member of the family of such person, a copy of the notice shall be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the ordinary residence or usual place of business of such person and the original shall be returned to the competent authority who issued the notice, with the report endorsed thereon or annexed thereto stating that a copy has been so affixed, the circumstances under which it was done so and the name and address of the person, if any, by whom the ordinary residence or usual place of business was identified and in whose presence the copy was affixed.

1. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 18 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 315 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-37-80-दो-ए (तीन) दिनांक 6 मई, 1980 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

(4) (एक) यदि अधिनियम की [1][............] धारा 7 की उपधारा (1) या (2) या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की तामील उपनियम (1) में उपबंधित रीति से न की जा सके तो सक्षम प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी सूचना कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में जिसका उस परिक्षेत्र में प्रसार हो प्रकाशित भी करवाएगा और वह उस परिक्षेत्र में डोंडी पिटवाकर किसी भी सूचना की अन्तर्वस्तु को उद्घोषित भी कर सकेगा।

5. जाँच करना -- यदि कोई व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन [1][............] की तामील की गई हो यह चाहता हो कि उसकी सुनवाई उसके प्रतिनिधि के माध्यम से की जाए तो वह ऐसे प्रतिनिधि को लिखित रूप में प्राधिकृत करेगा।

[2][............]

6. लंबित कार्यवाहियों का अन्तरण -- (1) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिस पर इस अधिनियम के अधीन सूचना तामील की गई हो, आवेदन किया जाने पर और यदि वह सुनवाई कराना चाहता हो तो उसकी सुनवाई के पश्चात् या राज्य सरकार या इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर राज्य शासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी स्वप्रेरणा से किसी भी प्रक्रम पर किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निपटारे के लिए लंबित किसी भी कार्यवाही को अन्तरित कर सकेगा।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन कोई कार्यवाही अन्तरित की जाए, तब सक्षम प्राधिकारी, जो तत्पश्चात् ऐसे कार्यवाही का प्रभारी हो, अन्तरण

(4) (i) If a notice issued under [1][............] sub-section (1) or (2) of section 7 or sub-section (1) of section 13 of the Act cannot be served in the manner provided in sub-rule (1) the competent authority may, if he thinks fit, direct that such notice shall also be published in atleast one news-paper having circulation in the locality and he may also proclaim the contents of any notice in the locality by beat of drum.

5. Holding in inquiries -- Where any person on whom a notice [1][............] under this Act has been served desires to be heard through his representative, he shall authorize such representative in writing.

[2][............]

6. Transfer of pending proceedings -- (1) On the application of any person to whom a notice under the Act has been served and after hearing him, if he desires to be heard, or of its or his own motion, the State Government or any Gazetted Officer especially authorised by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette may at any stage transfer any proceeding pending before any competent authority for disposal of the same.

(2) Where any proceeding has been transferred under sub-rule (1), the competent authority who thereafter is

1. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 18 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 315 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-37-80-दो-ए (तीन) दिनांक 6 मई, 1980 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
2. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 18 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 315 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-37-80-दो-ए (तीन) दिनांक 6 मई, 1980 द्वारा नियम 5 के उपनियम (2) का लोप किया गया।

के आदेश में दिए गए निदेशों के अध्यधीन रहते हुए या तो उसे पुन: आरम्भ कर सकेगा या उस विषय-बिन्दु से जहाँ से वह अन्तरित किया गया था, अग्रसर होगा।

incharge of such proceeding may, subject to any special directions in the order of transfer, either restart it or proceed from the point at which it was transferred.

7. लोक परिसरों का कब्जा लेने की रीति -- (1) यदि अधिनियम के अधीन किसी लोक परिसर का कब्जा लेने में कोई बाधा खड़ी की जाए या सक्षम प्राधिकारी की राय में बाधा खड़ी की जाने की संभावना हो, तो सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी पुलिस की आवश्यक सहायता अभिप्राप्त कर सकेगा।

(2) जहाँ अधिनियम के अधीन किसी लोक परिसर का जिसमें ताला लगा हुआ पाया जाए, का कब्जा लिया जाना हो तो वहाँ सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी या तो परिसर को सीलबंद कर सकेगा या दो साक्षियों की उपस्थिति में तालों को तोड़ सकेगा या किसी द्वार, फाटक या अन्य रोध को खोल सकेगा या खुलवा सकेगा तथा परिसरों में प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु --

(1) सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात् किसी भी लोक परिसर में प्रवेश नहीं किया जाएगा या उसका कब्जा नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी लोक परिसर को बलपूर्वक खोला जाए तो दो साक्षियों की उपस्थिति में परिसर में पाई गई वस्तुओं की एक तालिका बनाई जाएगी।

7. Manner of taking possession of public premises -- (1) If any obstruction is offered, or is in the opinion of the competent authority likely to be offered, to the taking possession of any public premises under the Act, the competent authority or any other officer duly authorised by him in this behalf may obtain necessary police assistance.

(2) Where any public premises of which possession is to be taken under the Act is found locked, the competent authority or any other officer duly authorised by him in this behalf may either seal the premises or in the presence of two witnesses break open the locks or open or cause to be opened any door, gate or other barrier and enter the premises :

Provided that --

(1) no entry shall be made into, or possession taken of, a public premises before sunrise or after sunset;

(2) where any public premises is forced open, an inventory of the articles found in the premises shall be taken in the presence of two witnesses.

8. नुकसानी का निर्धारण -- किसी लोक परिसर के अप्राधिकृत उपयोग तथा अधिभोग के कारण हुई नुकसानी का निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

8. Assessment of damages -- In assessing damages of unauthorised use and occupation of any public premises the competent authority shall take into consideration the following matters, namely --

(4) (एक) यदि अधिनियम की [1][............] धारा 7 की उपधारा (1) या (2) या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की तामील उपनियम (1) में उपबंधित रीति से न की जा सके तो सक्षम प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी सूचना कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में जिसका उस परिक्षेत्र में प्रसार हो प्रकाशित भी करवाएगा और वह उस परिक्षेत्र में डोंडी पिटवाकर किसी भी सूचना की अन्तर्वस्तु को उद्घोषित भी कर सकेगा।

(4) (i) If a notice issued under [1][............] sub-section (1) or (2) of section 7 or sub-section (1) of section 13 of the Act cannot be served in the manner provided in sub-rule (1) the competent authority may, if he thinks fit, direct that such notice shall also be published in atleast one news-paper having circulation in the locality and he may also proclaim the contents of any notice in the locality by beat of drum.

5. जाँच करना -- यदि कोई व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन [1][............] की तामील की गई हो यह चाहता हो कि उसकी सुनवाई उसके प्रतिनिधि के माध्यम से की जाए तो वह ऐसे प्रतिनिधि को लिखित रूप में प्राधिकृत करेगा।

5. Holding in inquiries -- Where any person on whom a notice [1][............] under this Act has been served desires to be heard through his representative, he shall authorize such representative in writing.

[2][............]

[2][............]

6. लंबित कार्यवाहियों का अन्तरण -- (1) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिस पर इस अधिनियम के अधीन सूचना तामील की गई हो, आवेदन किया जाने पर और यदि वह सुनवाई कराना चाहता हो तो उसकी सुनवाई के पश्चात् या राज्य सरकार या इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर राज्य शासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी स्वप्रेरणा से किसी भी प्रक्रम पर किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निपटारे के लिए लंबित किसी भी कार्यवाही को अन्तरित कर सकेगा।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन कोई कार्यवाही अन्तरित की जाए, तब सक्षम प्राधिकारी, जो तत्पश्चात् ऐसे कार्यवाही का प्रभारी हो, अन्तरण

6. Transfer of pending proceedings -- (1) On the application of any person to whom a notice under the Act has been served and after hearing him, if he desires to be heard, or of its or his own motion, the State Government or any Gazetted Officer especially authorised by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette may at any stage transfer any proceeding pending before any competent authority for disposal of the same.

(2) Where any proceeding has been transferred under sub-rule (1), the competent authority who thereafter is

1. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 18 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 315 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-37-80-दो-ए (तीन) दिनांक 6 मई, 1980 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
2. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 18 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 315 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-37-80-दो-ए (तीन) दिनांक 6 मई, 1980 द्वारा नियम 5 के उपनियम (2) का लोप किया गया।

(क) वह प्रयोजन तथा कालावधि, जिसमें लोक परिसर अप्राधिकृत अधिभोग में थे;

(ख) ऐसे परिसरों में उपलब्ध स्थान का प्रकार, आकार तथा स्तर;

(ग) यदि परिसर, अप्राधिकृत अधिभोग की कालावधि में, किसी प्राइवेट व्यक्ति को किराये पर दिया जाता, तो कितना किराया वसूल किया जा सकता था;

(घ) अप्राधिकृत अधिभोग की कालावधि के दौरान परिसरों को पहुँचाया गया कोई नुकसान;

(ङ) नुकसानी के निर्धारण के प्रयोजनके लिए सुसंगत कोई अन्य बात।

9. अपीलों में प्रक्रिया -- अधिनियम की धारा 9 के अधीन की गई अपील लिखित रूप में होगी, उसमें जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसके प्रति की गई आपत्ति के कारण संक्षेप में उपवर्णित किए जाएंगे और उसके साथ ऐसे आदेश की एक प्रति भी भेजी जाएगी।

(2) अपील प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हुई कार्यवाही का अभिलेख मंगाने और उसका परिशीलन करने के पश्चात अपीली अधिकारी अपील की सुनवाई का स्थान तथा समय नियत करेगा और उसकी सूचना उस सक्षम प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, अपीलार्थी को उस विभागाध्यक्ष या प्राधिकारी को, जिसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वह परिसर हो, देगा।

10. निरसन -- मध्यप्रदेश गवर्नमेंट प्रिमाइसेस (इविक्शन) रूल्स, 1960 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई भी बात या की गई कोई भी कार्यवाही, जब तक ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(a) the purpose and the period for which the public premises were in unauthorised occupation;

(b) the nature, size and standard of the accommodation available in such premises;

(c) the rent that would have been realised if the premises had been let on rent for the period of unauthorised occupation to a private person;

(d) any damage done to the premises during the period of unauthorised occupation;

(e) any other matter relevant for the purpose of assessing the damages.

9. Procedure in appeals -- (1) An appeal preferred under section 9 of the Act shall be in writing, shall set forth concisely the grounds of objection to the order appealed against, and shall be accompanied by a copy of such order.

(2) On receipt of the appeal and after calling for and pursuing the record of the proceedings before the competent authority, the appellate officer shall appoint a time and place for the hearing of the appeal and shall give notice thereof to the competent authority against whose orders the appeal is preferred, to the appellant and to the head of Department or authority in administrative control of the premises.

10. Repeal -- Madhya Pradesh Government Premises (Eviction) Rules, 1960 are hereby repealed :

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall, unless such thing or action is inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

[1]प्ररूप "क"

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) की धारा 4 (1) के अधीन आदेश

अत: मुझे, अधोहस्ताक्षरी को, यह जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................ नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट लोक परिसर का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं/कर रही हैं और यह कि उनकी उक्त परिसर से उक्त अनुसूची में दिए गए आधारों पर बेदखल कर दिया जाना चाहिए।

(2) अतएव, मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, एतद्द्वारा उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी................ से तथा उन समस्त व्यक्तियों से, जो उक्त परिसर या उसके किसी भाग का अधिभोग कर रहे हैं, यह अपेक्षा करता हूँ कि वह/वे................ (तारीख) को या उसके पूर्व यह कारण दर्शाएँ कि प्रस्तावित बेदखली आदेश क्यों न अंतिम रूप से किया जाए। श्री/श्रीमती/कुमारी............... उक्त दर्शित किए जाने वाले कारण, यदि कोई हों, के समर्थन में सभी साक्ष्य ऊपर विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत करें।

अनुसूची

भाग क

लोक परिसर

भाग ख

आधार

तारीख.......सन्.... ....

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा मुद्रा

[1]FORM A

Order under sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974)

Whereas, I the undersigned have received information that Shri/Smt./Kumari...................................... is/are in unauthorised possession of the public premises specified in the Schedule below, and that they should be evicted on the grounds given in the said Schedule.

(2) Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (1) of section 4 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), I hereby call upon the said Shri/Smt./Kumari................................ and all persons who may be in occupation of the said premises or any part thereof, to show cause on or before (date) as to why the proposed order of eviction should not be finally made. Shri/Smt./Kumari........................ should also produce all evidence in support of the cause, if any, to be shown on or before the date specified above.

Schedule

Part-A

Public Premises

Part-B

Grounds

Dated..........19.... ....

Signature and Seal of
the Competent Authority

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-221-90-दो-V(3) दिनांक 20-2-1991 के द्वारा नवीन प्ररूप 'क' प्रतिस्थापित। इसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 20-2-1991 को पृष्ठ 449-450 पर किया गया।

[1][प्ररूप "ख"]

[विलोपित]

प्ररूप "ग"

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) के अधीन सूचना का प्ररूप

श्री/श्रीमती/कुमारी................................

अत: तारीख................ को आपको नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित लोक परिसरों से, जिसके आप अप्राधिकृत रूप से अधिभोगी थे, बेदखल कर दिया गया था।

अतएव मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, एतद्द्वारा, आपको यह सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की तामील के चौदह दिन के पश्चात्, उक्त परिसर पर, रही कोई भी सम्पत्ति हटाए जाने या लोक नीलाम द्वारा व्ययनित किए जाने के दायित्वाधीन होगी। यदि आप अपनी सम्पत्ति का कब्जा लेना चाहते हों और उसे उक्त परिसर से हटाना चाहते हों तो आप अधोहस्ताक्षरी के लिखित प्राधिकार से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, परन्तु यह तब जबकि आपके द्वारा देय किसी किराए, नुकसान, खर्चे का बकाया उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर संदाय कर दें।

अनुसूची

तारीख................ ....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

प्ररूप "घ"

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी................................

अत: आप नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित लोक परिसर के अधिभोगी हैं/थे,

और यत:................................ रु. की राशि, जो कि उक्त परिसर के संबंध में तारीख................ 19..... से तारीख................ 19..... तक (जिसमें दोनों दिन शामिल हैं) के किराये की बकाया है और जो आपके द्वारा शासन को संदेय है।

अतएव, अब मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं, एतद्द्वारा आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि आप तारीख.......... को या उसके पूर्व कारण दर्शाएँ कि आपको उक्त किराये की बकाया का संदाय करने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न दिया जाए ?

---

1. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 18 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 315 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-37-80-दो-ए (तीन) दिनांक 6 मई, 1980 द्वारा प्ररूप "ख" विलुप्त किया गया।

[1][FORM-B]

[Deleted]

FORM-C

Form of notice under sub-section (1) of section 6 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974)

Shri/Shrimati/Kumari.................................... .

Whereas on the .... you are evicted from the public premises described in the Schedule below which was unauthorisedly occupied by you.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) of section 6 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), I hereby give you notice that after fourteen days of the service of this notice on you, any property remaining on the said premises will be liable to be removed or disposed of by public auction. In case you desire to take possession of your property and to remove the same from the said premises: you will be permitted to do so on written authority from the undersigned provided any arrears of rent/damages/costs due from you are paid within the said period of fourteen days.

Schedule

Date............

....

Signature & Seal of the
Competent Authority

FORM-D

Notice under sub-section (3) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

Whereas you are/were in occupation of the public premises described in the Schedule below;

And whereas a sum of Rs. .... being the arrears of rent from the ....day .... 19....., to the .... day of........ 19..... , (both day inclusive) in respect of the said premises is due and payable by you to the Government;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No 46 of 1947), I hereby call upon you to show cause on or before the .... why an order requiring you to pay the said arrears of rent should not be made

---

1. Form B deleted by Notification No. F-13-37-80-II-A (3) dated 6th May, 1980 published in M.P. Gazette Part 4 (Ga), dated 18th July, 1980.

के अप्राधिकृत उपयोग तथा अधिभोग के मद्दे नीचे दी गई अनुसूची दो में दर्शायी गई कालावधि (कालावधियों) के लिए तथा दर (दरों) पर................ रु. की नुकसानी आपके द्वारा देय है,

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन मैं एतद्द्वारा आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि आप तारीख................ को या/उसके पूर्व कारण दर्शाएँ कि आपको उक्त नुकसानी का संदाय करने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न दिया जाए।

अनुसूची-एक

अनुसूची-दो

तारीख................

....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

प्ररूप "छ"

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन आदेश का प्ररूप

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी................................

यत: मैं अधोहस्ताक्षरी इस बात से मेरा समाधान करता हूँ कि आप नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित लोक परिसर के अप्राधिकृत रूप से अधिभोगी हैं/थे,

और यत: तारीख................की लिखित सूचना द्वारा आपसे तारीख................को या उसके पूर्व यहकारण दर्शाने की अपेक्षा की गई थी कि आपको उक्त परिसर के अप्राधिकृत उपयोग तथा अधिभोग के लिए................रुपये की नुकसानी का संदाय करने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न दिया जाए,

यत: मैंने आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आक्षेप तथा/अथवा साक्ष्य पर विचार किया है और यत: उक्त तारीख के पूर्व आपने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है अथवा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अत: अब मैं, मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, आपको आदेश देता हूँ कि आप उक्त परिसर के आपके द्वारा किए गए अप्राधिकृत अधिभोग के लिए नुकसानी के रूप में मेरे द्वारा निर्धारित................रुपये की राशि का................रु. की समान किश्तों में................माह के भीतर संदाय कर दें।

आपके द्वारा उक्त कालावधि के भीतर अथवा पूर्वोक्त रीति से नुकसानी अथवा उसकी किसी भी किश्त के संदाय से इंकार करने या उसमें असफल रहने की दशा में भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी।

अनुसूची

तारीख................

....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

46 of 1974), I consider the damage amounting to Rs. .... are due for the period (s) and at the rate (s) shown in Schedule II below, on account of unauthorised use and occupation of the said premises;

Now, therefore, under the provisions of sub-section (3) of section 7 of the said Act, I hereby call upon you to show cause on or before the................. as to why an order requiring you to pay the said damages should not be made

Schedule I

Schedule II

Date............

....

Signature & Seal of the
Competent Authority

FORM G

Form or Order sub-section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

Whereas. I, the undersigned, am satisfied that you are/were in unauthorised occupation of the public premises mentioned in Schedule below;

And whereas by a written notice dated .... you were called upon to show cause on or before the .... why an order requiring you to pay damages of Rs. .... for unauthorised use and occupation of the said premises should not be made,

And whereas I have considered your objection and/or the evidence produced by you;

And whereas I have not made any objection or produced any evidence before the said date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by subsection (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), I hereby order you to pay the sum of Rs........................... assessed by me as damages on account of your unauthorised occupation of the said premises within .... months in equal instalments of Rs. ....

In the event of your refusal or failure to pay the damages or any instalment thereof within the said period or in the manner aforesaid the amount will be recovered as an arrear of land revenue.

Schedule

Date............

....

Signature & Seal of the
Competent Authority

Schedule

Date...........

....

Signature & Seal of the Competent Authority

FORM E

Form of Order under sub-section (1) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

Whereas you are/were in occupation of the public premises described in the Schedule below :-

And whereas, by a written notice dated .... you were called upon to show cause on or before .... why an order requiring you to pay a sum of Rs. .... being the rent payable in respect of the said premises should not be made;

And whereas, I have considered your objection and/or the evidence produced by you;

And whereas, you have not made any objections or produced any evidence before the said date;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No 46 of 1974). I hereby require you to pay the sum of Rs. ....(Rupees....................) as follows :-

In the case of the said sum is not paid within the said period or in the said manner it will be recovered as an arrear of land revenue.

Schedule

Date...........

....

Signature & Seal of the Competent Authority

FORM F

Notice under sub-section (3) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam 1974 (No. 46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

Whereas, I the undersigned, am satisfied that you are/were in unauthorised occupation of the public premises mentioned in Schedule I, below;

And, whereas, in exercise of the powers conferred on me by sub- section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No.

प्ररूप "ज"

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 12 के अधीन दिए जाने वाले आदेश का प्ररूप

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी................................

यत: यह विश्वास करने का कारण है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित लोक परिसर कतिपय व्यक्तियों के अप्राधिकृत अधिभोग में है,

अतएव, मैं सक्षम प्राधिकारी................................की अधिसूचना के साथ पठित मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता हूँ कि आप तारीख................को या उसके पूर्व इससे उपाबद्ध अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट प्ररूप में जानकारी दें।

अनुसूची-एक

अनुसूची-दो

तारीख................ ....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा
अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी *-- इस आदेश का अनुपालन न करना भारतीय दंड संहिताके अधीन एक अपराध है।*

प्ररूप "झ"

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कलेक्टर................को प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री................................निवासी......................... किराया/नुकसानी/अपील के खर्चे के मद्दे राज्य शासन को ....रुपये की रकम शोध्य है।

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 14 के अनुसरण में, मैं...............................सक्षम प्राधिकारी आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करें।

प्ररूप "ञ"

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी................................

Schedule

Date...........

....

Signature & Seal of the Competent Authority

FORM E

Form of Order under sub-section (1) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

Whereas you are/were in occupation of the public premises described in the Schedule below :-

And whereas, by a written notice dated .... you were called upon to show cause on or before .... why an order requiring you to pay a sum of Rs. .... being the rent payable in respect of the said premises should not be made;

And whereas, I have considered your objection and/or the evidence produced by you;

And whereas, you have not made any objections or produced any evidence before the said date;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No 46 of 1974), I hereby require you to pay the sum of Rs. ....(Rupees....................) as follows :-

In the case of the said sum is not paid within the said period or in the said manner it will be recovered as an arrear of land revenue.

Schedule

Date...........

....

Signature & Seal of the Competent Authority

FORM F

Notice under sub-section (3) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam 1974 (No. 46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

Whereas, I the undersigned, am satisfied that you are/were in unauthorised occupation of the public premises mentioned in Schedule I, below;

And, whereas, in exercise of the powers conferred on me by sub- section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No.

के अप्राधिकृत उपयोग तथा अधिभोग के मद्दे नीचे दी गई अनुसूची दो में दर्शायी गई कालावधि (कालावधियों) के लिए तथा दर (दरों) पर................ रु. की नुकसानी आपके द्वारा देय है,

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन मैं एतद्द्वारा आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि आप तारीख................ को या/उसके पूर्व कारण दर्शाएँ कि आपको उक्त नुकसानी का संदाय करने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न दिया जाए।

अनुसूची-एक

अनुसूची-दो

तारीख................

....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

प्ररूप "छ"

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन आदेश का प्ररूप

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी................................

यत: मैं अधोहस्ताक्षरी इस बात से मेरा समाधान करता हूँ कि आप नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित लोक परिसर के अप्राधिकृत रूप से अधिभोगी हैं/थे,

और यत: तारीख................की लिखित सूचना द्वारा आपसे तारीख................को या उसके पूर्व यहकारण दर्शाने की अपेक्षा की गई थी कि आपको उक्त परिसर के अप्राधिकृत उपयोग तथा अधिभोग के लिए................रुपये की नुकसानी का संदाय करने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न दिया जाए,

यत: मैने आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आक्षेप तथा/अथवा साक्ष्य पर विचार किया है और यत: उक्त तारीख के पूर्व आपने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है अथवा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अत: अब मैं, मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, आपको आदेश देता हूँ कि आप उक्त परिसर के आपके द्वारा किए गए अप्राधिकृत अधिभोग के लिए नुकसानी के रूप में मेरे द्वारा निर्धारित................रुपये की राशि का................रु. की समान किश्तों में................माह के भीतर संदाय कर दें।

आपके द्वारा उक्त कालावधि के भीतर अथवा पूर्वोक्त रीति से नुकसानी अथवा उसकी किसी भी किशत के संदाय से इंकार करने या उसमें असफल रहने की दशा में भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी।

अनुसूची

तारीख................

....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

46 of 1974), I consider the damage amounting to Rs. .... are due for the period (s) and at the rate (s) shown in Schedule II below, on account of unauthorised use and occupation of the said premises;

Now, therefore, under the provisions of sub-section (3) of section 7 of the said Act, I hereby call upon you to show cause on or before the................. as to why an order requiring you to pay the said damages should not be made

Schedule I

Schedule II

Date...........

....

Signature & Seal of the
Competent Authority

FORM G

Form or Order sub-section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

Whereas. I, the undersigned, am satisfied that you are/were in unauthorised occupation of the public premises mentioned in Schedule below;

And whereas by a written notice dated .... you were called upon to show cause on or before the .... why an order requiring you to pay damages of Rs. .... for unauthorised use and occupation of the said premises should not be made,

And whereas I have considered your objection and/or the evidence produced by you;

And whereas I have not made any objection or produced any evidence before the said date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by subsection (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), I hereby order you to pay the sum of Rs........................... assessed by me as damages on account of your unauthorised occupation of the said premises within .... months in equal instalments of Rs. ....

In the event of your refusal or failure to pay the damages or any instalment thereof within the said period or in the manner aforesaid the amount will be recovered as an arrear of land revenue.

Schedule

Date...........

....

Signature & Seal of the
Competent Authority

FORM H

Form or Order under section 12 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

Whereas, there are reasons to believe that certain persons are in unauthorised occupation of the public premises described in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam. 1974 (No. 46 of 1974), read with the notification of the Competent Authority .... I hereby require you to furnish the information in the Form specified in Schedule II hereto annexed on or before ....

Schedule I

Schedule II

Date............ ....

Signature & Seal of the Competent authority
or the Signature of the Officer authorised
by the Competent Authority

Note -- Failure to comply with this order is an offence under the Indian Penal Code.

FORM I

Certificate under section 14 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), from the Competent Authority to the Collector ....

This is to certify that the amount of Rs. .... is due to the State Government from Shri .... resident of .... account of rent/damages/ costs of appeal.

In pursuance of section 14 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), I .... Competent Authority, request you to proceed to recover the same as an arrear of land revenue.

FORM J

Notice under sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No.46 of 1974)

To,

Shri/Shrimati/Kumari ....

यत: श्री................................(अब मृत) नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित लोक परिसरों के अधिभोगी/अप्राधिकृत अधिभोगी थे।

यत: उक्त परिसर के संबंध में , मैं तारीख................19..... से तारीख................19..... तक की किराये/नुकसानी की बकाया के रूप में ....रु. की रकम श्री........................ द्वारा राज्य शासन को संदेय हो गई थी।

और यत: आप मृत श्री................................ के .... वारिस/विधिक प्रतिनिधि हैं।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि आप तारीख................को या उसके पूर्व कारण दर्शाएँ कि आपको किराये/नुकसानी की उक्त बकाया का संदाय करने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न दिया जाए।

अनुसूची

तारीख................ ....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

❑❑❑

Whereas Shri................................ (now deceased) was in occupation/ unauthorised occupation of the public premises described in the Schedule below;

And whereas the amount of Rs .... being arrears of rent/damages from the............day of............ 19 ......, upto the .... day of................. 19......, in respect of the said premises had become due and payable by the said Shri .... to the Government;

And whereas you are the heir/legal representative of the deceased Shri.................................

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 13 of the said Act, I hereby call upon you to show cause on or before the .... why an order requiring you to pay the said arrears of rent/damage should not be made against you.

Schedule

Date...........

....

Signature & Seal of the
Competent Authority

❑❑❑

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 जून 2025 —— ज्येष्ठ 19, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जून 2025

क्र. 4741/डी. 72/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15–05–2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र.46 सन् 1974) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

धारा 3 का संशोधन

2\. (1) छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, शब्द "अधिसूचना द्वारा" के पश्चात् तथा चिन्ह "—" के पूर्व, शब्द "या कलेक्टर सामान्य आदेश के द्वारा" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 9 का संशोधन

3\. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :—
"(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा या संभागीय आयुक्त (राजस्व) सामान्य आदेश द्वारा, कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को ऐसे क्षेत्र के संबध में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।"

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जून 2025

क्र. 4741 / डी. 72 / 21—अ / प्रारू. / छ.ग. / 25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2025)

THE CHHATTISGARH LOK PARISAR (BEDAKHALI) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2025

An Act further to amend the Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam. 1974 (No. 46 of 1974).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974) (hereinafter referred to as the Principle Act), after the words "the Official Gazette" and before the symbol "--", the words "or the Collector by an order" shall be inserted.

Amendment of Section 9.

3. For sub-section (1) of Section 9 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government may, by notification or the Divisional Commissioner (Revenue) may, by general order, appoints an officer not below the rank of Collector as Appellate Authority for the purposes of this Act in respect of such areas as may be specified."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.